



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बारौ मास्टर प्लान

2011-2033

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

नगर नियोजन विभाग
राजस्थान, जयपुर


आभार

बारों शहर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में मैं शहर के विशिष्ट जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास योजना को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस शहर के विकास कार्यों के साथ साथ शहर का मास्टर प्लान बनाये जाने में अपना अमूल्य समय समर्पित किया है।

मैं, जिला कलेक्टर, बारों का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान प्रारूप को तैयार करने में अपना सहयोग प्रदान किया।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को संकलित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल-प्रदाय, शिक्षा एवं वन इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने अपना सतत सहयोग प्रदान किया है। मैं उपरोक्त सभी विभागों एवं नगर परिषद, बारों को अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही नगर नियोजन विभाग के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिन्होंने मास्टर प्लान को अन्तिम रूप प्रदान करने में सहायता की, की भी प्रशंसा करता हूँ।

अन्त में, मैं बारों शहर के सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में भी मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना पूर्ण सहयोग बनाये रहेंगे।



(प्रदीप कपूर)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व)
राजस्थान, जयपुर।

योजना-दल

1. श्री एन0 के0 खरे : मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री आर0 पी0 शर्मा : मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
(दिनांक 30.11.11 तक)।
3. श्री प्रदीप कपूर : अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान जयपुर।
4. श्री प्रवीण जैन : अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
(दिनांक 03.05.12 तक)
5. श्री आर0 एल0 टुकलिया : वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा(दि0 22.7.11 तक)।
6. श्री विनय कुमार दलेला : वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा, कोटा जोन, कोटा।
7. श्री अनिल माथुर : उप नगर नियोजक (मास्टर प्लान), मुख्यालय, जयपुर।
8. श्री महेश चन्द गुप्ता : सहायक नगर नियोजक, कोटा (दिनांक 31.8.11 तक)।
9. श्री चैतन्य कुमार गौतम : सहायक नगर नियोजक (कार्यवाहक) एवं
सहायक अभियन्ता, कोटा।
10. श्री संजीव पारीक : जिला नगर नियोजक, बारों।
11. श्रीमति रूचि गुप्ता : सहायक नगर नियोजक
12. श्री जगदीश कलवार : सहायक नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जयपुर।

अभियांत्रिकी शाखा:

1. श्री ओम प्रकाश शर्मा : कनिष्ठ अभियन्ता, कोटा।
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह : कनिष्ठ अभियन्ता, कोटा।

मानचित्र शाखा:

1. श्री गोपाल कृष्ण जैन : वरिष्ठ प्रारूपकार, कोटा।
2. श्री राम किशन कुमावत : वरिष्ठ प्रारूपकार,कोटा।
3. श्री शिव शंकर शर्मा : कनिष्ठ प्रारूपकार, कोटा।
4. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : कनिष्ठ प्रारूपकार, जयपुर।
5. श्री संजय पारीक : कनिष्ठ प्रारूपकार, कोटा।

मंत्रालयिक शाखा:

1. श्री शिव प्रकाश नामा : वरिष्ठ निजी सहायक, कोटा।
2. श्री प्यारा सिंह : निजी सहायक, कोटा।

(ii)

विषय-सूची

क्र० संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
	आभार	i
	योजना दल	ii
	विषय सूची	iii
	तालिका सूची	vii
1.0	परिचय	1-3
2.0	विद्यमान विशेषताएँ	4-17
2.1	भौतिक स्वरूप और जलवायु	
2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	
2.3	ऐतिहासिक	
2.4	जनांकिकी	
2.5	व्यावसायिक संरचना	
2.6	विद्यमान भू-उपयोग	
2.6.1	आवासीय	
2.6 (1)(अ)	आवासन	
2.6 (1)(ब)	कच्ची बस्तियों	
2.6 (2)	वाणिज्यिक	
2.6 (3)	औद्योगिक	
2.6 (4)	राजकीय	
2.6 (4)(अ)	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	
2.6 (4)(ब)	सरकारी आरक्षित	
2.6 (5)	आमोद-प्रमोद	
2.6 (5)(अ)	उद्यान एवं खुले स्थल	
2.6 (5)(ब)	स्टेडियम एवं खेल के मैदान	
2.6 (5)(स)	अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन	
2.6 (5)(द)	मेला एवं पर्यटन	

2.6 (6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	
2.6 (6)(अ)	शैक्षणिक	
2.6 (6)(ब)	चिकित्सा	
2.6 (6)(स)	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	
2.6 (6)(द)	जनोपयोगी सुविधाएँ	
2.6 (6)(द)(i)	जलापूर्ति	
2.6 (6)(द)(ii) (अ)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	
2.6 (6)(द)(ii) (ब)	बाढ़ समस्या	
2.6 (6)(द)(iii)	विद्युत आपूर्ति	
2.6 (6)(ध)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	
2.6(7)	परिसंचरण	
2.6(7)(अ)	यातायात व्यवस्था	
2.6(7)(ब)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	
2.6(7)(स)	रेल एवं हवाई सेवा	
2.7	गत् मास्टर प्लान प्रस्ताव (1988-2011) एवं वर्तमान् विकास की समीक्षा	
3.0	नियोजन की संकल्पना	18-21
3.1	नियोजन की नीतियाँ	
3.2	नियोजन के सिद्धान्त	
4.0	भावी आकार	22-26
4.1	जनांकिकी	
4.2	व्यावसायिक संरचना	
4.3	नगरीय क्षेत्र	
4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	
4.5	योजना क्षेत्र	
	(अ) कोटा सड़क योजना क्षेत्र	
	(ब) डोल तालाब योजना क्षेत्र	
	(स) शाहबाद सड़क योजना क्षेत्र	
	(द) झालावाड़ सड़क योजना क्षेत्र	
	(य) परिधि नियन्त्रण योजना क्षेत्र	
5.0	भू-उपयोग योजना	27-41
5.1	आवासीय	
5.1 (1)	आवासन	

- 5.1 (2) मिश्रित उपयोग
5.1 (3) नगरीय नवीनीकरण/कच्ची बस्तियाँ
- 5.2 वाणिज्यिक
5.2 (1) मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र
5.2 (2) वाणिज्यिक केन्द्र
5.2 (3) अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र
5.2 (4) थोक व्यापार
5.2 (5) भण्डारण एवं गोदाम
- 5.3 औद्योगिक
5.3 (1) औद्योगिक क्षेत्र
5.3 (2) घरेलू उद्योग
- 5.4 राजकीय
5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय
5.4 (2) सरकारी आरक्षित
- 5.5 आमोद-प्रमोद
5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल
5.5 (2) स्टेडियम एवं खेल के मैदान
5.5 (3) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन
5.5 (4) मेले/पर्यटन सुविधायें
- 5.6 सार्वजनिक व अर्द्ध सार्वजनिक
5.6 (1) शैक्षणिक
5.6 (2) चिकित्सा
5.6 (3) सामाजिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल
5.6 (4) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ
5.6 (5) जनोपयोगी सुविधाएँ
- 5.6(5)अ जल-आपूर्ति
5.6(5)ब (i) जल-मल निकास व्यवस्था
5.6(5)ब (ii) बाढ़ नियंत्रण
5.6(5)स ठोस कचरा प्रबन्धन
5.6(5)द विद्युत-आपूर्ति

5.6 (6)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	
5.7	हाईवे डवलपमेंट कंट्रोल क्षेत्र	
5.8	परिसंचरण	
5.8 (1)	प्रस्तावित यातायात संरचना	
5.8(1)अ	सड़कों का मार्गाधिकार	
5.8(1)ब	सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार	
5.8(1)स	पार्किंग स्थलों का विकास	
5.8(1)द	चौराहों का विकास एवं सौंदर्यीकरण	
5.8 (2)	बस अड्डा तथा यातायात नगर	
5.8 (2)(अ)	बस अड्डा	
5.8 (2)(ब)	यातायात नगर	
5.8 (3)	रेल सेवा	
5.9	परिधि नियंत्रण पट्टी	
5.10	पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण	
5.11	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	
6.	योजना का क्रियान्वयन	42-44
6.1	वर्तमान आधार	
6.2	प्रस्तावित आधार	
6.3	जन सहभागिता एवं जन सहयोग	
6.4	भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	
6.5	उपसंहार	
<u>परिशिष्ट:</u>		
1.	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण	45-47
2.	राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण	48-49
3.	राजकीय अधिसूचना दि० 13.06.08	50
4.	राजकीय अधिसूचना दिनांक 23.01.2014	51

तालिका-सूची

क्र०संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति-बाराँ-1901-2011	6
2.	व्यावसायिक संरचना-बाराँ-1991-2011	7
3.	विद्यमान भू-उपयोग- बाराँ -2011	8
4.	शैक्षणिक संरचना बाराँ -2011	12
5.	जलापूर्ति कनेक्शन- बाराँ -2011	13
6.	विद्युत आपूर्ति- बाराँ -2011	14
7.	मास्टर प्लान 1988-2011 में प्रस्तावित भू-उपयोग -2011 एवं विद्यमान भू-उपयोग-2011	17
8.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान- बाराँ -1901-2033	22
9.	व्यावसायिक संरचना- बाराँ -2033	23
10.	योजना क्षेत्र- बाराँ -2033	24
11.	प्रस्तावित भू-उपयोग- बाराँ -2033	27
12.	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण-बाराँ-2033	29
13.	प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र- बाराँ -2033	30
14.	प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना- बाराँ -2033	33
15.	विद्यमान व प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार-बाराँ-2033	38
16.	विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई-बाराँ-2033	39

1 परिचय

बारों राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नगर है। प्रशासनिक दृष्टि से यह जिला मुख्यालय है। यह कोटा-बीना बड़ी रेलवे लाईन पर प्रमुख नगर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं0-27 (पिण्डवाड़ा-शिवपुरी) यहाँ से गुजरता है जो पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर का भाग है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं0-90 (बारों-अकलेरा) यहाँ से प्रारम्भ होता है। बारों राज्य राजमार्ग नं0-1 द्वारा राजस्थान के अन्य नगरों से जुड़ा है। शहर के उत्तर की तरफ बाणगंगा बहती है, जो चम्बल की सहायक नदी पार्वती में मिलती है।

बारों जिले की उत्तरी व पूर्वी सीमायें मध्य प्रदेश राज्य से मिलती हैं। इस तरह राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भाग का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह नगर जयपुर से रेल व सड़क मार्ग द्वारा सीधा जुड़ा हुआ है।

बारों नगर की स्थापना सोलंकी राजपूतों द्वारा 14वीं शताब्दी में हुई थी। कहा जाता है कि बारह ग्रामों की आबादी को मिलाकर एक नगर बसाने के कारण इस नगर का नाम बारों रखा गया है। वृहद् राजस्थान की स्थापना से पूर्व वर्ष 1949 तक बारों जिला मुख्यालय था, इसके उपरान्त इसे कोटा जिले का एक उपखण्ड मुख्यालय बनाया गया। 10 अप्रैल वर्ष 1991 में बारों को पुनः जिला बनाया गया है।

यह नगर कृषि और वन सम्पदा से समृद्ध है एवं एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। चम्बल परियोजना से नगर की अर्थव्यवस्था और भी सुदृढ़ हुई है, क्योंकि इसका पश्चिमी क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित है। कृषि जिनसों की अधिक पैदावार एवं बिजली की उपलब्धता के कारण आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं। यहाँ पर 'अ' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी है।

उपरोक्त विकास गतिविधियों के बढ़ने के साथ नगर का विस्तार पुराने शहर की सीमाओं के बाहर भी विभिन्न दिशाओं में कोटा सड़क, मांगरोल सड़क, झालावाड़ सड़क एवं शाहबाद सड़क के आसपास हुआ है।

बारों की जनसंख्या 1901 में 7892 थी, जो वर्ष 1981 में बढ़कर 42000 हो गई। तीव्र नगरीय विकास के कारण नगर में विभिन्न समस्यायें सामने आईं। नगरीय विकास एवं जन सेवाओं का विस्तार बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में पिछड़ गया। अतः बारों नगर के नियोजित विकास हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा-3 की उपधारा (1) के अंतर्गत राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.4.86 द्वारा बारों सहित 12 राजस्व ग्रामों को बारों नगरीय क्षेत्र घोषित कर वर्ष 1988 को आधार वर्ष मानते हुये क्षितिज वर्ष 2011 के अनुमानों पर प्रथम मास्टर प्लान तैयार किया गया था, किन्तु कतिपय कारणों से बारों नगर का विकास पूर्णतया मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं हो सका है।

पुराने शहर की बसावट अत्यधिक घनी व तंग हो चुकी है। जहां आवासीय घनत्व 200 व्यक्ति प्रति एकड़ तक है। नगर पालिका की योजनाओं को छोड़कर बाहर की ओर समन्वित नियोजन का ध्यान न रखकर अनियोजित एवं अव्यवस्थित रूप से नये निर्माण हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, रिपेयर, भवन निर्माण सामग्री व अन्य भारी सामानों के बाजारों से नगर में भारी यातायात उत्पन्न होता है। व्यावसायिक गतिविधियां तंग क्षेत्रों में स्थित हैं, जो यातायात को अवरूद्ध करते हैं। शहर में नियोजित यातायात नहीं है। बारों की जनसंख्या वर्ष 1981 में 42,000 थी, जो बढ़कर 1991 में 57,719, 2001 में 78,665 एवं 2011 में 1,18,157 हो गई। 10 अप्रैल, 1991 को बारों जिला घोषित होने के कारण कोटा सड़क पर मिनि सचिवालय का निर्माण किया गया। कोटा सड़क व झालावाड़ सड़क पर शहरी विकास का दबाव रहा है। इस दौरान कृषि भूमि पर कई आवासीय कॉलोनियां विकसित हो गई। बारों नगर के पूर्व मास्टर प्लान में उपरोक्त समस्याओं को समाधान हेतु यद्यपि आवश्यक सुझाव दिये गये थे एवं मास्टर प्लान का क्रियान्वयन नगर पालिका व विभिन्न विभागों द्वारा किया जाना था, परंतु अनेक कारणों से शहर का उचित विकास नहीं हो पाया। उपरोक्त उभरती हुई समस्याओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि नगर के योजनाबद्ध विकास के लिये नया मास्टर प्लान तैयार किया जाये।

अतः राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 (1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक प.10(3)नविआ/3/86, जयपुर दिनांक 13.6.2008 द्वारा अति0 मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राज0, जयपुर को बारों नगर का नया मास्टर प्लान तैयार करने हेतु, 27 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर, अधिकृत किया गया है।

मास्टर प्लान बनाने के लिए नगर नियोजन विभाग द्वारा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं जन सुविधाओं आदि से संबंधित आवश्यक सर्वेक्षण किये गये। विभिन्न सर्वेक्षण एवं ऑकड़ों का विवेचन किया गया तथा मास्टर प्लान के लिए योजना सिद्धांतों एवं नीतियों का निर्धारण किया गया। मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2033 है। अतः वर्ष 2033 तक नगर की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना मानदण्डों के अनुसार आवश्यक भूमि का अनुमान एवं स्थल निर्धारण आदि किया गया। इन सभी अध्ययनों के आधार पर मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया है। मास्टर प्लान वर्ष 2033 तक की विभिन्न नगरीय गतिविधियों की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करता है।

यह मास्टर प्लान न केवल कस्बे के भावी विकास को दिशा-निर्देश प्रदान करेगा अपितु शहरी जीवन के गुणात्मक सुधार में भी कारगर सिद्ध होगा। कस्बे के भावी विकास को दिशा देने हेतु यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिससे यहां के नागरिकों को स्वस्थ एवं आनन्दमय जीवन का वातावरण प्राप्त हो सके। इसमें यह आवश्यक है कि नगर के नागरिकों को इसे समझने का पर्याप्त अवसर मिले। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 20.11.2012 से 19.12.2012 तक एवं इसके उपरांत अधिसूचना दिनांक 18.12.2012 द्वारा उक्त अवधि दिनांक 20.12.2012 से 18.01.2013 तक बढ़ाया जाकर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु जनता के अवलोकनार्थ मास्टर प्लान से

संबंधित मानचित्रों के प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। बारां प्रारूप मास्टर प्लान की प्रतियों सम्बन्धित विभागों एवं न प्रतिनिधियों को भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए भेजी गयी। मास्टर प्लान के संबंध में अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गयी।

बारां मास्टर प्लान के प्रारूप पर 130 आपत्तियों/सुझाव पत्र प्राप्त हुये, जिनमें मास्टर प्लान प्रारूप के 163 बिन्दुओं पर आपत्ति/सुझाव प्रेषित किये गये। प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों का मौका निरीक्षण किया गया तथा भू-उपयोग पर विचार विमर्श करने के पश्चात् 86 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत, 28 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत किये गये, जबकि 33 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत योग्य थे व 16 आपत्ति/सुझावों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं पायी गयी। स्वीकृत एवं आंशिक स्वीकृत संशोधनों के अतिरिक्त मौके की स्थिति के फलस्वरूप अन्य संशोधनों को समाहित करते हुए तदनुसार मास्टर प्लान बारां को अन्तिम रूप दिया गया। अतः मास्टर प्लान, बारां को अन्तिम रूप से तैयार कर राज्य सरकार को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(प्रदीप कपूर)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व)
राजस्थान, जयपुर।

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक-प.10(3)नवि/3/86 दिनांक 23.01.2014 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट-4)

विद्यमान विशेषताएँ

बारौँ शहर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, हाड़ौती अंचल के पूर्वी भाग में, पश्चिमी मध्य रेलवे लाईन के कोटा-बीना खण्ड पर महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से रेल मार्ग द्वारा 312 कि०मी० की दूरी पर है। सम्भागीय मुख्यालय कोटा से 74 कि०मी० की दूरी पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग नं०-27 (पिण्डवाड़ा-शिवपुरी) पर स्थित है, जो कि पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर का भाग है। राष्ट्रीय राजमार्ग-90 बारौँ-अकलेरा यहाँ से प्रारम्भ होता है। साथ ही यह नगर राज्य राजमार्ग-1 (इन्द्रगढ़-मांगरोल-झालावाड़) द्वारा अन्य नगरों से सीधा जुड़ा हुआ है।

2.1 भौगोलिक स्वरूप और जलवायु :

बारौँ माध्य समुद्र तल से 262 मीटर की उंचाई पर चम्बल नदी की सहायक नदियों काली सिंध, पार्वती व परवन के बीच में स्थित है। पार्वती नदी की सहायक बाणगंगा शहर के मध्य से गुजरती है। यह 25°6' उत्तरी अक्षांश एवं 27°31' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नगर ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है। जल निकास बाणगंगा नदी व पाटौदा नाले द्वारा होता है। अधिक वर्षा में नगर में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बारौँ जिले की मिट्टी भारी व काली है, जिसकी उर्वरता सामान्य है। बारौँ शहर की सामान्य जलवायु शुष्क एवं गर्म है। गर्मियों में यहां का अधिकतम दैनिक औसत तापमान 42.6° डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में औसत अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 29° डिग्री सेल्सियस तथा 9° सेल्सियस रहता है। शहर की औसत वार्षिक वर्षा 967 मि०मी० के लगभग है तथा जुलाई-अगस्त में औसत आद्रता लगभग 75 प्रतिशत रहती है। गर्मी के मौसम में हवाएँ पश्चिम से पूर्व की ओर तथा सर्दी के मौसम में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर चलती है।

2.2 क्षेत्रीय परिपेक्ष्य :

बारौँ राजस्थान के दक्षिण-पूर्व में स्थित हाड़ौती अंचल के मध्य भाग में पश्चिमी-मध्य रेलवे की बड़ी रेलवे लाईन पर स्थित है। कोटा सम्भाग के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारौँ, झालावाड़, सवाई माधोपुर जिले आते हैं। बारौँ तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा सीमान्त जिला है, जो अपनी समृद्ध पुरा सम्पदा संस्कृति व विविधता के कारण राजस्थान में अपना विशिष्ट महत्व रखता है। यह हाड़ौती का प्रमुख नगर है एवं क्षेत्र के अन्य नगरों से रेल व सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बारौँ नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग नं०-27 (पिण्डवाड़ा-शिवपुरी) गुजरता है, जो इसे देश के अन्य नगरों से जोड़ता है। यहां पर 'अ' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी है। बारौँ तहसील के पश्चिम में चम्बल परियोजना की दायीं मुख्य नहर से सिंचित क्षेत्र है। यहां की प्रमुख पैदावार धनिया, चावल, तिलहन, दालें, गेहूं, सोयाबीन, ज्वार, चना इत्यादि हैं। बारौँ नगर के पूर्व में सम्पन्न वन सम्पदा के क्षेत्र हैं, जिनमें प्रमुख उत्पाद में लकड़ी, ईंधन, कोयला, कत्था, गोंद, रेग्जीन, तेंदुपत्ता, शहद, मोम आदि हैं।

बारों के आसपास धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन महत्व के स्थल हैं। धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बारों जिले में रामगढ़-भंडदेवरा, रामगढ़ माताजी, कन्यादह, विलासगढ़, शाहबाद की भव्य जामा मस्जिद व किला, गढ़ गच्च, गूगोर का प्राचीन किला, शेरगढ़ व नाहरगढ़ के किले आदि ऐतिहासिक महत्व के स्थल भी हैं, जोकि पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। बारों से 45 कि०मी० की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर सीताबाड़ी नामक प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं जिसमें प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर विशाल मेला भरता है, जो बारों जिले का सबसे बड़ा मेला है एवं वनवासी जनजाति सहरिया परिवारों के लिये कुंभ मेला है। इसके अलावा बारों के 40-50 कि०मी० की परिधि में अनेकों धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल हैं। बारों शहर में मणिहारा तालाब, भूतेश्वर जैन तीर्थ नसिया जी, डोल तालाब, कल्याण राय जी का मंदिर, बरड़िया बालाजी आदि प्रमुख स्थल हैं। बारों के पश्चिम की ओर 22 कि०मी० दूरी पर अन्ता में गैस पर आधारित पावर संयंत्र कार्यरत है। नगर के आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध आर्थिक क्षमतार्ये क्षेत्र के उन्नत एवं उज्ज्वल भविष्य की ओर इंगित करती है।

बारों शहर के बड़ी रेलवे लाईन एवं राष्ट्रीय राज्य मार्ग से जुड़ा होने के कारण भविष्य में यहां आर्थिक एवं पर्यटन के विकास की प्रबल सम्भावनायें हैं।

2.3 ऐतिहासिक विकास :

कहा जाता है कि बारों चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी में सोलंकी राजपूतों के अधीन था। उस समय इसके अंतर्गत 12 गांव आते थे, इसलिए यह नगर बारों कहलाया। पुराना किला जो जीर्ण-शीर्ण हो चुका है, पुराने शहर का केंद्र था, जिसके आसपास बाणगंगा नदी के किनारे पहले आबादी बसी थी। बारों को कोटा स्टेट के समय विशेष दर्जा प्राप्त था। सन् 1900 से पूर्व यहां पर अस्पताल, स्कूल इत्यादि की स्थापना हो चुकी थी। सन् 1915 में नगर पालिका की स्थापना हुई। स्वतंत्रता से पूर्व यहां पर कई उद्योग स्थापित हो चुके थे, जिनमें तेल मिल, चावल, शीशा उद्योग प्रमुख हैं। अनेक समस्याओं के कारण यहां उद्योग अब बन्द हो गये हैं।

बारों में पुराने शहर के बाहरी क्षेत्र में विकास सन् 1906 में कोटा-बीना रेल लाईन बन जाने के बाद, नगर पालिका, स्कूल, चिकित्सालय इत्यादि की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के बाद और 1961 में चम्बल परियोजना के प्रथम चरण के पूर्ण होने के बाद बारों शहर का तीव्र गति से विस्तार हुआ। पुराने शहर के पश्चिम में अनाज मण्डी, गोदाम, अस्पताल, कॉलेज आदि की स्थापना हुई है।

मार्च 1948 में संयुक्त राजस्थान बना था। उस समय बारों उसमें एक जिला था। 31 मार्च, 1949 को राजस्थान के पुनर्गठन होने पर बारों जिला मुख्यालय को तोड़कर कोटा जिले का उपखण्ड मुख्यालय बनाया गया था। एक बार पुनः बारों को 10 अप्रैल, 1991 को जिले का दर्जा मिला। जिला मुख्यालय बनने के बाद कोटा मार्ग पर मिनी सचिवालय बनाया गया, जिसमें कलक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक व अन्य जिला स्तरीय कार्यालय चल रहे हैं। जिला न्यायालय भवन भी मिनी सचिवालय के पश्चिम में है। नजदीक ही सिविल लाईन व सर्किट हाउस का विकास किया गया है। कोटा मार्ग पर रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र है।

2.4 जनांकिकी :

बारों नगर की जनसंख्या के आंकड़े 1901 से उपलब्ध हैं। 1901 में बारों नगर की जनसंख्या 7892 थी। सन् 1941 तक शहर की जनसंख्या में मामूली वृद्धि हुई। वर्ष 1941-51 में नगर की जनसंख्या वृद्धि-दर 44.95 प्रतिशत रही। वर्ष 1951-61 में नगर की जनसंख्या वृद्धि-दर अपेक्षाकृत कम रही थी। सन् 1961 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि होती रही है। अनेक विकास गतिविधियां जैसे कि पहुंच मार्ग, अनाज मण्डी की स्थापना चम्बल सिंचाई परियोजना से विद्युत व सिंचाई संसाधनों में वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि दर उसी काल के अन्य नगरों से तुलनात्मक दृष्टि से अधिक थी। बारों की विशिष्ट स्थिति को ही इसका श्रेय जा सकता है। सन् 1971-81 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि दर 40.90 प्रतिशत रही है। वर्ष 1981-1991 व 1991-2001 में जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 37.43 प्रतिशत व 36.28 प्रतिशत रही है। वर्ष 2001-2011 में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 50.20 प्रतिशत रही है। इसका प्रमुख कारण वर्ष 2006 में बारों नगर पालिका सीमा में वृद्धि है। इस तरह वर्ष 1901 से 2011 तक पिछले 110 वर्षों के दौरान बारों नगर की जनसंख्या लगभग पन्द्रह गुनी हो गयी, जो नगर के तीव्र विकास का उदाहरण है। वर्ष 1901 से वर्ष 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका संख्या-1 में दर्शाया गया है।

तालिका - 1
जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति - बारों 1901 - 2011

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि-दर
1901	7892	-	-
1911	9507	1615	20.46
1921	10157	650	6.84
1931	11471	1314	12.94
1941	14087	2616	22.81
1951	20419	6332	44.95
1961	22764	2345	11.48
1971	29809	7045	30.95
1981	42000	12191	40.90
1991	57719	15719	37.43
2001	78665	20946	36.28
2011	118157	39492	50.20

स्रोत :- भारतीय जनगणना।

2.5 व्यावसायिक संरचना :

सन् 1991 एवं 2001 की जनगणना के अनुसार बारों शहर में जनसंख्या का कार्यशील सहभागिता अनुपात क्रमशः 27.60 प्रतिशत व 28.39 प्रतिशत रहा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बारों शहर में कुल 22330 व्यक्ति कार्यशील थे। वर्ष 1991 में व्यापार व वाणिज्यिक में 28.27 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत् थे, जिससे स्पष्ट होता है कि बारों शहर व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। नगर नियोजन विभाग के अनुमान के अनुसार वर्ष 2011 की अनुमानित जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत व्यक्ति कार्यशील है। अतः वर्ष 2011 में लगभग 28 प्रतिशत व्यापार व वाणिज्यिक में एवं उद्योग में 20 प्रतिशत व अन्य सेवाओं में 28 प्रतिशत व्यक्तियों के कार्यरत् रहने का अनुमान है। वर्ष 1991, 2001 व 2011 की व्यावसायिक संरचना को तालिका संख्या-2 में दर्शाया गया है

तालिका संख्या - 2
व्यावसायिक संरचना - बारों - 2011

क्र०सं०	व्यवसाय	1991		2001		2011	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि खनन एवं तत्संबंधित गतिविधियों	1643	10.31	821	3.68	2481	7
2	उद्योग	3252	20.41	2065	9.25	7090	20
3	निर्माण	1028	6.45	19444	87.07	2836	8
4	व्यापार व वाणिज्यिक	4504	28.27			9925	28
5	परिवहन	1466	9.20			3190	9
6	अन्य सेवायें	4040	25.36			9925	28
	योग	15933	100.00	22330	100.00	35447	100

स्त्रोत : जनगणना भारत सरकार एवं नगर नियोजन अनुमान।

2.6 विद्यमान भू उपयोग :

बारों वर्ष 1981 में 42000 की आबादी का शहर था। नगर पालिका का क्षेत्रफल 3431 एकड़ (13.88 वर्ग किमी) है। वर्तमान में नगरीकृत क्षेत्र 2350 एकड़ हो गया है, जिसमें से केवल 2100 एकड़ ही विकसित क्षेत्र के अंतर्गत है, शेष भूमि सरकारी आरक्षित, कृषि, अन्य रिक्त एवं जलाशय के अंतर्गत आती है। कुल विकसित क्षेत्र में से 52.38 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत, वाणिज्यिक में 8.33 प्रतिशत, औद्योगिक में 8.10 प्रतिशत, आमोद प्रमोद में 0.71 प्रतिशत, सार्वजनिक व अर्द्ध सार्वजनिक में 9.29 प्रतिशत क्षेत्र है। साथ ही सरकारी व अर्द्ध सरकारी उपयोग के अंतर्गत 3.10 प्रतिशत क्षेत्र है। तालिका संख्या-3 में विद्यमान भू उपयोग वर्ष 2011 को दर्शाया गया है।

तालिका संख्या - 3
विद्यमान् भू उपयोग - बारों - 2011

क्र०सं०	भू उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	1100	52.38	46.81
2	वाणिज्यिक	175	8.33	7.45
3	औद्योगिक	170	8.10	7.23
4	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	65	3.10	2.77
5	आमोद-प्रमोद	15	0.71	0.64
6	सार्वजनिक व अर्द्ध सार्वजनिक	195	9.29	8.29
7	परिसंचरण	380	18.09	16.17
	विकसित क्षेत्र	2100	100.00	89.36
8	सरकारी आरक्षित	56	-	2.38
9	कृषि	14	-	0.60
10	अन्य रिक्त	100	-	4.26
11	जलाशय	80	-	3.40
	नगरीकृत क्षेत्र	2350	-	100.00

स्रोत :- नगर नियोजन विभाग, सर्वेक्षण एवं आंकलन।

2.6 (1) आवासीय :

2.6 (1) अ आवासन :

बारों शहर के विद्यमान् भू उपयोग 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार आवासीय उपयोग के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 1100 एकड़ है, जो विकसित क्षेत्र का 52.38 प्रतिशत है। शहर का औसत नगर घनत्व लगभग 56 व्यक्ति प्रति एकड़ एवं औसत आवासीय घनत्व लगभग 107 व्यक्ति प्रति एकड़ है। पुराने शहर की आबादी का औसत घनत्व लगभग 151 व्यक्ति प्रति एकड़ है एवं बाहरी विकसित क्षेत्र का घनत्व लगभग 75 व्यक्ति प्रति एकड़ है।

बारों शहर 40 वार्डों में विभक्त है, जिसमें से पुराने शहर के अंतर्गत 16,17, 18,19,20,33,34,35 व 36 वार्ड आते हैं। अधिकतम घनत्व वार्ड संख्या 19 व 20 में करीब 200 व्यक्ति प्रति एकड़ है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का युक्तिसंगत वितरण नहीं है।

पुराने शहर में दो से तीन मंजिल के निर्माण, पुरानी हवेलियां, पुराने मंदिर, पारम्परिक बाजार हैं। यहां पर आबादी तंग गलियों में रहती है। बहुत कम खुले स्थल है। भीतरी क्षेत्रों में मिश्रित भूमि उपयोग मिलता है, जहां पर निचली मंजिल वाणिज्यिक उपयोग, जबकि उपरी मंजिल आवासीय उपयोग में आ रही है, जिससे यहां पर यातायात एवं आवास की समस्या पैदा हो रही है। बाहरी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम घनत्व के हैं।

2.6 (1) ब कच्ची बस्तियाँ :

बारों शहर में कुल 26 कच्ची बस्तियाँ हैं जिसमें से 10 कच्ची बस्तियों का नियमन किया जा चुका है एवं 16 कच्ची बस्तियों का अभी नियमन नहीं हुआ है। अधिकांश कच्ची बस्तियाँ सरकारी भूमि पर नदी व नालों के किनारे विकसित हुई हैं। नगर पालिका द्वारा नियमित कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु विकास कार्य करवाये जा रहे हैं।

2.6 (2) वाणिज्यिक :

बारों शहर के कुल विकसित क्षेत्र का लगभग 8.33 प्रतिशत अर्थात् 175 एकड़ भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित हैं। बारों शहर में 525 वाणिज्यिक संस्थायें पंजीकृत हैं। वाणिज्यिक गतिविधियाँ थोक एवं फुटकर व्यापार पुराने नगर के स्टेशन सड़क, प्रताप चौक, दीन दयाल पार्क, अस्पताल सड़क, इन्द्रा मार्केट, शास्त्री मार्केट, सदर बाजार, चौमुखा बाजार, अम्बेडकर सर्किल, सब्जीमण्डी, मांगरोल सड़क एवं शाहबाद सड़क इत्यादि बाजारों में ही सम्पन्न होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कपड़ा मार्केट, सर्राफा, किराना, जनरल मर्चेन्ट एवं बर्तन इत्यादि वाणिज्यिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। फर्नीचर एवं भवन निर्माण सामग्री आदि हेतु कोई व्यवस्थित बाजार नहीं है। पुराने शहर के पश्चिमी सीमा पर स्थित नाले एवं मांगरोल सड़क के सहारे लकड़ी व पत्थर के स्टॉक अव्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। इन क्षेत्रों में अतिक्रमण के भारी दबाव के कारण बाजार अव्यवस्थित होते जा रहे हैं। महाराणा प्रताप चौक के आसपास, अस्पताल सड़क व स्टेशन सड़क पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ चल रही हैं। नये विकसित क्षेत्रों में कृषि उपज मण्डी, कोटा सड़क, मांगरोल सड़क आदि पर व्यापारिक गतिविधियाँ चल रही हैं। भण्डारण व गोदाम मुख्य रूप से कोटा सड़क व बस अड्डे के पश्चिम में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त नये विकसित क्षेत्रों में फुटकर मिश्रित वाणिज्यिक गतिविधियाँ चल रही हैं।

बारों में 'अ' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी है। यह गेहूँ, धनिया, सोयाबीन और चावल के लिए राज्य की बड़ी मण्डियों में से एक है। कृषि उपज मण्डी में सभी आवश्यक सुविधायें हैं और वर्तमान परिसर में ही भविष्य के विस्तार हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध है।

2.6 (3) औद्योगिक :

वर्तमान में बारों शहर में कोटा सड़क पर काजीखेड़ा के पास रीको की 170 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है, जो विकसित क्षेत्र का लगभग 8.10 प्रतिशत है। उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1991 में 3252 (20.41 प्रतिशत) थी। आसपास के क्षेत्र में कृषि उत्पादन अधिक होने के कारण कृषि आधारित उद्योगों की प्रबल सम्भावना है। औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि आधारित (तेल व चावल मिलें) उद्योग चल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अलावा कोटा सड़क पर एस0के0जी0 सोयाबीन प्लांट चल रहा है। शहर में कई औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिनमें मुख्यतः चावल व तेल मिलें हैं।

बारों शहर में बीड़ी बनाना, रंगाई-छपाई, बर्तन, जूते, बढई-गिरी, लाख की चूड़ियाँ इत्यादि प्रमुख कुटीर उद्योग हैं। बारों में घरेलू उद्योग की 24 इकाइयाँ पंजीकृत हैं।

2.6 (4) राजकीय :

2.6 (4) (अ) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय :

बारों शहर जिला मुख्यालय होने के कारण यहां पर लगभग सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित हैं। बारों शहर में सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत 65 एकड़ क्षेत्र है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का लगभग 3.10 प्रतिशत है। कोटा मार्ग पर मिनी सचिवालय व जिला कलक्टर कार्यालय है, जिसमें जिला स्तरीय कार्यालय व जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय कार्यरत हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग रेलवे स्टेशन के नजदीक, सिंचाई विभाग कोटा सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग के पास चल रहा है। जलदाय विभाग मिनी सचिवालय के पास कार्यरत है। मुख्य डाकघर एवं बीएसएनएल का कार्यालय अस्पताल मार्ग पर चल रहा है। नगर पालिका कार्यालय प्रताप सर्किल से स्टेशन सड़क पर है।

बारों जिले में वर्ष 2010 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्द्ध सरकारी एवं स्थानीय निकायों के कुल कार्मियों की संख्या लगभग 12671 है। वर्तमान में अधिकांश कार्यालय राजकीय भवनों में चल रहे हैं। फिर भी कुछ कार्यालय निजी आवासीय भवनों एवं किराए के भवनों में चल रहे हैं।

2.6 (4) (ब) सरकारी आरक्षित :

बारों शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के बाईपास पर रिजर्व पुलिस लाइन स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 56 एकड़ है।

2.6 (5) आमोद-प्रमोद :

वर्तमान में बारों शहर में आमोद-प्रमोद के अंतर्गत कुल 15 एकड़ भूमि विकसित है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 0.71 प्रतिशत है। बारों में शहरी स्तर के आमोद-प्रमोद स्थल, खेल मैदान एवं उद्यान पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं है। यहां पर शहर के विकास के साथ उद्यानों एवं खुले स्थलों के विकास की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। यहां पर डोल मेला भरता है।

2.6 (5) अ उद्यान एवं खुले स्थल :

बारों शहर में मुख्य रूप से चार प्रमुख पार्क विवेकानंद पार्क, नेहरू पार्क, दीन दयाल उपाध्याय पार्क एवं शिवाजी नगर पार्क है। विवेकानंद पार्क गौशाला के पास कोटा सड़क पर है। दीन दयाल उपाध्याय पार्क शाहबाद सड़क व झालावाड़ सड़क के तिराहे पर एवं नेहरू पार्क पुराने शहर के अंदर स्थित है। शिवाजी नगर के अंदर दो पार्क हैं। सार्वजनिक पार्कों की देखभाल नगर पालिका द्वारा की जाती है।

2.6 (5) ब स्टेडियम एवं खेल मैदान :

बारों में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास खुला स्थल है, जो स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। यह स्टेडियम के लिये अपर्याप्त है। यह सार्वजनिक समारोह एवं खेल मैदान हेतु काम में लाया जाता है।

2.6 (5) स अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन :

विवेकानन्द पार्क में एक सार्वजनिक पुस्तकालय नगर पालिका द्वारा संचालित है, जो नगर पालिका भवन में चल रहा है। जिला पुस्तकालय जिला प्रमुख के आवास के पास स्टेशन सड़क पर स्थित है।

2.6 (5) द मेला एवं पर्यटन :

रावण जी का चौक खुला स्थल है, जोकि शहर के दक्षिण की ओर स्थित है। यहाँ दशहरा मेला भरता है। यह स्थल दशहरा मेले हेतु अपर्याप्त है। इसके चारों ओर अतिक्रमण, अनाधिकृत निर्माण भी हो रहे हैं। एक बड़ा स्थल डोल मेला स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष डोल मेला भरता है। यह डोल तालाब के पास, मांगरोल मार्ग पर स्थित है। यह मेला बारों जिले के प्रमुख मेलों में से एक है। भाद्रपद शुक्ल: एकादशी (जल झूलनी) तिथि, जिसे यहां पर डोल ग्यारस भी कहा जाता है, को डोल तालाब के किनारे 15 दिवस का मेला लगता है।

बारों शहर में मनियारा वाटिका, शिव मन्दिर, भूतेश्वर मन्दिर, बरडिया धाम, श्री कल्याण रायजी का मन्दिर, प्याराराम जी का मन्दिर, श्री सांवलिया जी का मन्दिर है। यहां पर बारह भाईयान की मस्जिद, श्योपुरियान, ईदगाह, बड़ा-गुबाडा, जामा मस्जिद प्रसिद्ध है।

बारों शहर के आसपास पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। रामगढ़-भण्डदेवरा, रामगढ़ माताजी, कन्यादह, विलासगढ़, शाहबाद की जामा मस्जिद व किला, गढ़ गच्च, गूगोर का प्राचीन किला, सोरसन माताजी शैलचित्र, सीताबाड़ी, नाहरगढ़, शेरगढ़ का किला, पुरातत्व की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हैं। कपिलधारा प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और पर्यटकों को आकर्षित करती है।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सन् 2010 में 195 एकड़ भूमि थी, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 9.29 प्रतिशत है। अतः आबादी विस्तार के अनुपात में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम हुई है। सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें सम्मिलित हैं।

2.6 (6) (अ) शैक्षणिक :

बारों शहर में वर्तमान में राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों सहित 28 प्राथमिक व 59 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। बारों शहर में 25 उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिनमें से 3 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमशः 2 छात्र एवं 1 छात्राओं हेतु है। यहां पर 31 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 2 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 1 छात्र व 1 छात्राओं हेतु हैं। माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल के मैदान हैं।

शहर में 22 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय व 29 निजी माध्यमिक विद्यालय हैं। अधिकांश निजी विद्यालय किराये के भवनों में अपर्याप्त स्थानों पर संचालित हैं, जहां पर मापदण्डों के अनुरूप सुविधाओं का अभाव है। यहां पर 2 राजकीय महाविद्यालय हैं। छात्रों हेतु महाविद्यालय कृषि उपज मण्डी के पूर्व में एवं छात्राओं हेतु महाविद्यालय चिकित्सालय के समीप स्थित है। एक संस्कृत महा विद्यालय कोटा सड़क पर स्थित है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झालावाड़ सड़क पर स्थित है। एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय वर्ष 2010 में स्थापित हुआ है। बारों की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षणिक संरचना को तालिका संख्या 4 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या - 4
शैक्षणिक संरचना - बारों - 2011

क्र० सं०	शैक्षणिक स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय जाने योग्य छात्र/छात्राओं की संख्या	कुल पंजीकृत छात्र/छात्राओं	विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	5-10	16640	12997	28
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11-13	11440	9539	59
3	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय	14-17	9360	8780	56

स्त्रोत: विभागीय सर्वेक्षण।

2.6 (6) (ब) चिकित्सा :

बारों शहर में राजकीय चिकित्सालय कृषि उपज मण्डी समिति सड़क पर स्थित है। इसकी वर्तमान क्षमता 200 शय्याओं की है। इसी परिसर में महिला चिकित्सालय व क्षय निवारण केंद्र भी है। इसके अतिरिक्त सिटी डिस्पेंसरी धर्मादा चौराहे पर धर्मादा संस्था द्वारा निःशुल्क भवन में चल रही है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय पुराने शहर में निजी मकान में स्थित है। कोटा सड़क पर राजकीय भवन में पशु चिकित्सालय कार्यरत् है। शहर में कई निजी पंजीकृत नर्सिंग एवं मेटरनिटी होम कार्यरत् हैं। अधिकांश नर्सिंग होम अपर्याप्त स्थल व अपर्याप्त सुविधाओं के साथ कार्यरत् हैं।

2.6 (6) (स) अन्य सामुदायिक सुविधायें :

शहर में एक जिला पुस्तकालय, तहसील पुस्तकालय व नगर पालिका वाचनालय है, जो कि नगर पालिका परिसर में संचालित है। यहाँ पर विश्राम गृह एवं डाक बंगला है। नगर पालिका द्वारा संचालित सामुदायिक भवन राम नगर कॉलोनी तेल फैक्ट्री क्षेत्र, सुसावन बस्ती, डोल मेला, गौशाला परिसर में एवं रावण जी के चौक में है। फायर स्टेशन कोटा सड़क पर गौशाला परिसर में है। यहां पर ममता होटल, ग्लेक्सी संस्कार, ए.सी. विजय लॉज, राज प्रमोद लॉज, गणेश लॉज, चौरसिया लॉज, नगर पालिका धर्मशाला, सेठ भूरालाल जी, दाइपंथी धर्मशाला, खण्डेलवाल धर्मशाला एवं दल्लाजी की धर्मशाला हैं, जो पर्यटकों को ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं।

2.6 (6)(द) जनोपयोगी सुविधायें :

पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, जल-मल निस्तारण की व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें हैं। अतः नगर के विस्तार के साथ-साथ इनका उचित प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

2.6 (6)(द)(i) जल आपूर्ति :

बारों शहर में जल आपूर्ति का मुख्य स्त्रोत हीकड़ एवं मजरावता देह है, जो 13 कि०मी० उत्तर में परबन नदी पर है। इसके अलावा 19 ट्यूबवेल एवं 450 हैण्डपम्प से भी शहर में जल वितरण किया जाता है। शहर में जल आपूर्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही है। वर्तमान में 100 लाख लीटर प्रतिदिन जलापूर्ति की जाती है। औसत जल आपूर्ति 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। शहर में जलापूर्ति हेतु दिये गये कनेक्शनों की संख्या 11533 है। निम्न तालिका में जलापूर्ति एवं वितरण का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका संख्या - 5
जल आपूर्ति कनेक्शन बाराँ - 2011

क्र०सं०	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या
1	घरेलू	11205
2	व्यावसायिक	169
3	औद्योगिक	-
4	अन्य	8
5	पी०सी०पी०ओ०	131
	योग :	11513

स्रोत : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बाराँ।

2.6.6 (द) (ii) अ जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबंधन :

बाराँ नगर में वर्तमान में सीवरेज व उचित ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने के कारण जल का निस्तारण विद्यमान खुली नालियों द्वारा ही होता है। वर्तमान में बाराँ नगर में व्यक्तिगत रूप से सेप्टिक टैंक बनाकर मल निस्तारण की व्यवस्था का प्रचलन है। अतः पर्यावरण की दृष्टि से नदी- नालों को प्रदूषण से बचाने हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि सीवरेज व्यवस्था विकसित की जावे, ताकि जल-मल का उचित स्थल पर निस्तारण हो सके।

वर्तमान में बाराँ शहर में घरों से निकलने वाले कूड़ा-करकट के कलेक्शन एवं निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था नहीं है। फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित रहता है। ठोस कचरे के निस्तारण हेतु कलमण्डा आईटीआई के पीछे स्थल चिन्हित किया हुआ है।

2.6.6 (द) (ii) ब बाढ़ समस्या:

बाराँ नगर में पुराने आबादी क्षेत्र एवं गढ़ क्षेत्र को छोड़कर बाराँ नगर के नये विकसित क्षेत्रों का भूतल नीचा है। कई नाले बाराँ शहर के मध्य एवं आस-पास के क्षेत्र से गुजर रहे हैं। बाण गंगा नदी बाराँ शहर के मध्य से गुजरती है। बाराँ शहर में बाण गंगा नदी का केचमेन्ट 48.12 वर्ग किलो मीटर है। तीन अन्य नाले पाटेदा नाला, फोरेस्ट नाला एवं रामनगर नाला भी बाराँ नगर के मध्य से गुजर रहे हैं। फोरेस्ट एवं रामनगर नाला बाराँ नगर में ही बाण गंगा नदी से मिलते हैं। गजनपुरा से एक और नाला निकलता है जो बाण गंगा नदी में मिलता है। पाटेदा नाला नारायणपुर गांव से प्रारंभ होकर बाराँ शहर के डाउन स्ट्रीम में बाण गंगा नदी से मिलता है, जिसका केचमेन्ट क्षेत्र 55.50 वर्ग कि.मी है। रामनगर नाला बाराँ शहर के अपस्ट्रीम से प्रारंभ होकर बाण गंगा नदी में मिलता है एवं नगर के निचले क्षेत्रों से गुजरता है। फोरेस्ट नाला तलावड़ा ग्राम से प्रारंभ होकर बाराँ नगर से निकलकर बाण गंगा नदी में मिलता है जिसका केचमेन्ट क्षेत्र 28.12 वर्ग कि.मी है। नलका नाला गजनपुरा से प्रारंभ होकर बाराँ शहर के डाउन स्ट्रीम में पश्चिम में बाण गंगा नदी से मिलता है जिसका केचमेन्ट क्षेत्र 28.12 वर्ग कि.मी है।

उपरोक्त सभी नाले बाराँ नगर के दक्षिण से आकर उत्तर की ओर बहते हुए बाण गंगा नदी में मिलते हैं। बाण गंगा नदी शहर की पूर्वी परिधि पर बहती है। अतः बाराँ शहर चारों ओर नालों से घिरा होने के कारण पंखानुमा केचमेन्ट बनता है जिसके कारण बाण गंगा नदी में अल्प अवधि की उच्च स्तरीय बाढ़ आती है। फोरेस्ट नाला एवं अन्य नाले भर जाने के कारण बाराँ नगर में बाढ़ आती है जिनसे बाराँ नगर की जल निकासी होती है। बाराँ की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि करीब 3-4 घण्टे शहर बाढ़-ग्रस्त रहता है। विभिन्न नालों की पर्याप्त चौड़ाई एवं गहराई न होने के कारण बाढ़ का पानी नगर में फेल जाता है।

2.6.6 (द)(iii) विद्युत आपूर्ति :

बाराँ शहर में विद्युत तंत्र के रख-रखाव व विद्युत वितरण का कार्य जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा संचालित किया जाता है। विद्युत आपूर्ति 33 के०वी० जीएसएस नियाना एवं 33 के०वी० जीएसएस बाबजी नगर से होती है। कुल क्षमता 18.15 एमवीए है। यहां पर जेवीवीएनएल का कार्यालय कोटा सड़क पर स्थित है। बाराँ नगर में प्रतिदिन लगभग 66000 यूनिट विद्युत का उपभोग किया जा रहा है।

तालिका संख्या - 6 विद्युत - आपूर्ति - बाराँ-2011

क्रम संख्या	मद	कनेक्शनों की संख्या	उपभोग प्रतिदिन (लाख यूनिट में)
1	घरेलू	11511	0.26
2	औद्योगिक	196	0.05
3	सड़क लाईटिंग	17	0.02
4	अन्य	2921	0.33
	कुल	14645	0.66

स्रोत :- अधिशाषी अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, बाराँ।

2.6 (6) (घ) श्मशान एवं कब्रिस्तान :

बाराँ शहर में श्मशान रावणजी के चौक, डोल तालाब के पास में शाहबाद सड़क पर, अटरू सड़क पर नाले व रेलवे लाईन के बीच स्थित है एवं डोल तालाब एवं कॉलेज के पास कब्रिस्तान स्थित है।

2.6.7 परिसंचरण :

2.6.7(अ) यातायात व्यवस्था :

बाराँ शहर कोटा-बीना बड़ी रेल लाईन पर स्थित है। बाराँ से रेल मार्ग द्वारा बीना-जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर से सीधा सम्पर्क है। बाराँ शहर के मध्य से पिंडवाड़ा-कोटा-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग-27 गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं०-90 बाराँ-अकलेरा, झालावाड़ बांरा (मेगा हाईवे) राज्य राजमार्ग नं० 1 सड़क मार्ग द्वारा राजस्थान के अन्य नगरों से जुड़ा हुआ है। शहर में भारी यातायात एवं स्थानीय यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है, जिससे यातायात संबंधी कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। कोटा व झालावाड़ सड़क पर रेलवे फाटकों से भी यातायात की भारी असुविधा होती है। मांगरोल, अटरू, शाहबाद, झालावाड़ मार्ग पर व शहर में त्रिमूर्ति चौराहा, कृषि उपज मण्डी सड़क, दीन दयाल उपाध्याय पार्क, बसस्टैण्ड व आसपास के मार्गों पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है। बांरा शहर का विस्तार कोटा सड़क, झालावाड़ सड़क, मांगरोल सड़क, अटरू सड़क, शाहबाद सड़क के आसपास के क्षेत्र में हो रहा है। अतः विभिन्न आवासीय क्षेत्रों एवं कार्यस्थलों की दूरी बढ़ती जा रही है, जिससे सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है। पुराने शहर में गलियाँ बहुत संकड़ी व टेढ़ी-मेढ़ी हैं, जिसके कारण यातायात अवरूद्ध होता है। शहर में निश्चित सड़क व्यवस्था नहीं है। प्रमुख बाजार प्रताप चौक व धर्मादा चौराहा के आसपास है, जिससे यहां पर यातायात का दबाव रहता है।

2.6.7 (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल :

राजस्थान पथ परिवहन निगम का बसस्टैण्ड शहर के अंदर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। शहर के मध्य में स्थित होने के कारण बसों के आवागमन में अत्यधिक असुविधा रहती है। यहां पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। बारों शहर में मोटर मार्केट शाहबाद सड़क पर चल रहा है। यहां पर नियोजित ट्रक टर्मिनल नहीं है। यहां पर यातायात का दबाव रहता है।

2.6.7 (स) रेल एवं हवाई सेवा :

बारों कोटा-बीना बड़ी रेलवे लाइन पर एक प्रमुख स्टेशन है। रेलवे स्टेशन शहर के मध्य में स्थित है। बारों में हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा कोटा शहर में है, जहाँ पर वर्तमान में हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। यहाँ से 324 कि०मी० की दूरी पर राज्य की राजधानी जयपुर में हवाई अड्डा है, जहाँ पर नियमित हवाई सेवा उपलब्ध है।

2.7 गत मास्टर प्लान (1988-2011) प्रस्ताव एवं वर्तमान विकास की समीक्षा :-

बारों शहर के नियोजित विकास हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.86 द्वारा बारों सहित 12 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये मास्टर प्लान तैयार करने हेतु मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को अधिकृत किया गया था। जिसके क्रम में बारों नगर का मास्टर प्लान तैयार किया गया जो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.09.1993 द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके उपरान्त राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.12.05 द्वारा बारों नगर का मास्टर प्लान नये सिरे से बनाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। इसके क्रम में वर्ष 1988 के बाद हुए विकास कार्यों की समीक्षा की गयी है। राज्य सरकार द्वारा दि० 10.04.91 को बारों को जिला मुख्यालय घोषित किया गया। जिसके फलस्वरूप कोटा सड़क पर जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला सत्र न्यायाधीश कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों को सम्मिलित करते हुये मिनि सचिवालय का निर्माण एवं सिविल लाइन का निर्माण हुआ। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा बारों शहर में विकास के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गये। इस दौरान कोटा सड़क पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया। नगर पालिका द्वारा नयी योजनाएँ लागू की गयी। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कोटा सड़क पर नई योजना विकसित की गयी। इस दौरान समय-समय पर भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धित निर्णय भी लिये गये। कृषि भूमि पर विभिन्न आवासीय योजनाएँ विकसित हुईं। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्य जैसे राजकीय कन्या महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, निजी विधि महाविद्यालय, वाणिज्यिक संस्थान, केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं राज्य सरकार के कार्यालय इत्यादि विकसित हुये। बारों शहर के दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 बाईपास का निर्माण हुआ। आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा कोटा सड़क पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया। विभिन्न सड़कों एवं चौराहों का विकास कार्य किया गया।

बारों नगर के पूर्व मास्टर प्लान में बारों नगर के नियोजित विकास हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये थे जिसका क्रियान्वयन नगर पालिका एवं अन्य विभागों द्वारा किया जाना था। किन्तु अनेक कारणों से शहर का विकास पूर्ण रूप से मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं हो पाया।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10(3) नविआ/3/86, जयपुर दि० 13.06.08 द्वारा 27 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये बारों मास्टर प्लान हेतु नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), राजस्थान, जयपुर को बारों नगर का नये मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया। इसके क्रम में नगर नियोजन विभाग द्वारा विभिन्न सर्वेक्षण करवाये गये।

बारों मास्टर प्लान में वर्ष 2011 में बारों नगर की जनसंख्या 1,30,000 अनुमानित की गयी थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बारों नगर की जनसंख्या लगभग 118157 होने का अनुमान है। गत् मास्टर प्लान-2011 में वर्ष 2011 तक विकसित क्षेत्र 2930 एकड़ होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि सर्वेक्षण अनुसार वर्ष 2011 में विकसित क्षेत्र 2100 एकड़ है। आवासीय क्षेत्र 1300 एकड़ प्रस्तावित था जबकि 2011 में आवासीय क्षेत्र 1100 एकड़ है। उक्त आवासीय विकास पूर्ण रूप से मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं हुआ है अपितु मास्टर प्लान में प्रस्तावित अन्य भू उपयोगों के आंशिक भाग पर भी आवासीय भू उपयोग विकसित हो गया है। आवासीय क्षेत्र मुख्य रूप से कोटा सड़क के इर्द-गिर्द, मांगरोल सड़क के पश्चिम में, झालावाड़ सड़क, शाहबाद सड़क, अटरू सड़क पर विकसित हुए हैं। कृषि भूमि पर अधिकांश आवासीय विकास अनियोजित तरीके से छितराये हुए रूप में हुआ है। कृषि भूमि पर कुछ योजनायें नियोजित रूप में भी विकसित हुई हैं। कृषि भूमि पर विकसित आवासीय योजनाओं में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वाणिज्यिक क्षेत्र 220 एकड़ प्रस्तावित था जबकि 175 एकड़ वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विकसित हुई हैं। मास्टर प्लान में प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र विकसित नहीं हो सके। केवल नगर पालिका की वाणिज्यिक योजनायें मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित हुई हैं। शेष वाणिज्यिक विकास सड़कों के सहारे-सहारे पतली पट्टी के रूप में हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र 190 एकड़ प्रस्तावित था, जबकि 170 एकड़ क्षेत्र औद्योगिक प्रयोजनार्थ विकसित हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से कोटा सड़क पर स्थित रीको का औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी के अंतर्गत 150 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित था जबकि 65 एकड़ क्षेत्र उक्त भू उपयोग के अंतर्गत विकसित हुआ है। इसमें मुख्य रूप से कोटा सड़क पर स्थित नव निर्मित मिनि सचिवालय परिसर है। निजी भूमि पर प्रस्तावित क्षेत्र उक्त प्रयोजन हेतु विकसित नहीं हो सके। आमोद प्रमोद के अंतर्गत 380 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित था जबकि केवल 15 एकड़ क्षेत्र विकसित हुआ है। मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप नये प्रस्तावित आमोद प्रमोद स्थल विकसित नहीं हो सके हैं। सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक के अंतर्गत 350 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित था, जबकि 195 एकड़ क्षेत्र विकसित हुआ है। कृषि भूमि पर मास्टर प्लान में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भू उपयोग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सके हैं। परिसंचरण के अंतर्गत 340 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित था, जबकि 380 एकड़ क्षेत्र उक्त भू उपयोग के अंतर्गत विकसित हो गया है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क प्रतिरूप विकसित नहीं हो पाया है। इस दौरान प्रमुख रूप से एन0एच0-27 के बाईपास का निर्माण हुआ है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित बसस्टैण्ड एवं यातायात नगर स्थल मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित नहीं हो सके।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि गत 20 वर्षों के दौरान सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक तथा आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुरूप क्षेत्र विकसित नहीं हुये है। अतः वर्तमान में बारों नगर में सार्वजनिक सुविधाओं एवं आमोद-प्रमोद स्थलों का अभाव है। अन्य भू-उपयोगों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत सन्तोषजनक विकास हुआ है। अतः नियोजन की दृष्टि से बारों नगर के नियोजित भावी विकास हेतु यह आवश्यक है कि अन्य भू-उपयोगों के साथ-साथ आमोद-प्रमोद एवं सामुदायिक सुविधाओं का उचित अनुपात में विकास किया जावे। गत् 20 वर्षों में जो आवासीय विकास हुआ है वह बिखरा हुआ है तथा अच्छी गुणवत्ता का नहीं है। योजनाओं में उचित चौड़ाई की सड़कों एवं पार्क इत्यादि सुविधाओं का अभाव है। आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, नाली, बिजली, पानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं। उचित जल निकासी नहीं है। अतः

यह अपेक्षित है कि भविष्य में आवासीय योजनायें निर्धारित मानदण्डों की पालना करते हुए विकसित हों। वाणिज्यिक विकास योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है। पार्किंग का अभाव है, जिससे शहर में यातायात की समस्या बढ़ रही है। अतः यह आवश्यक है कि भविष्य में वाणिज्यिक क्षेत्र पर्याप्त पार्किंग प्रावधान के साथ विकसित हो।

तालिका संख्या-7 में मास्टर प्लान 1988-2011 में प्रस्तावित भू उपयोग-2011 व विद्यमान भू उपयोग-2011 को दर्शाया गया है :

तालिका संख्या - 7
मास्टर प्लान (1988-2011) में प्रस्तावित भू उपयोग-2011 एवं विद्यमान भू उपयोग-2011

क्र०सं०	भू उपयोग	मास्टर प्लान-2011 में प्रस्तावित भू उपयोग		विद्यमान भू उपयोग-2011	
		क्षेत्रफल	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	क्षेत्रफल	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	1300	44.40	1100	52.38
2	वाणिज्यिक	220	7.50	175	8.33
3	औद्योगिक	190	6.50	170	8.10
4	सरकारी	150	5.10	65	3.10
5	आमोद-प्रमोद	380	13.00	15	0.71
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	350	11.90	195	9.29
7	परिसंचरण	340	11.60	380	18.09
	विकसित क्षेत्र	2930	100.00	2100	100.00
8	सरकारी आरक्षित	-	-	56	-
9	कृषि	-	-	14	-
10	अन्य रिक्त	-	-	100	-
11	जलाशय	110	-	80	-
	नगरीकृत क्षेत्र	3040	-	2350	-

नियोजन की संकल्पना

मानव के समूह में एक साथ रहने की कला सभ्यता का एक सूचकांक रही है। हालांकि पूर्व काल से ही सामाजिक गतिविधियों, पूजा-अर्चना, भोजन एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान-प्रदान हेतु मानव स्वार्थ समाहित होते रहे हैं तथा नगरों की स्थापना अपनी आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति का सर्वोच्च स्थल रहा है, जो उपयोग एवं उपभोग स्थल बना रहा है। अब व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आने वाली समस्याओं का निराकरण प्रमुख ध्येय हो गया है।

किसी भी समुदाय के लिए भूमि एक प्राथमिक संसाधन है, जो सीमित है। भूमि के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग तथा उस पर नियंत्रण के लिए भौतिक नियोजन महत्वपूर्ण है, ताकि समुदाय के लिए उपलब्ध भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके। आर्थिक गतिविधियों एवं भू उपयोग में सामंजस्य वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए नियोजन की प्रक्रिया आवश्यक है। भौतिक नियोजन या नगर एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा कोई भी नगर इसके भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप एवं विकास आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास करती है और इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तंत्र की रचना करती है। यदि प्रत्येक नगर के संबंध में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय कर लिये जाते हैं तो दिन- प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढांचे के संदर्भ में विचार कर ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर के अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों के प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार मास्टर प्लान भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसके साथ भू उपयोग योजना, इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान किसी भी नगर के प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्ग-दर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट आवश्यकतायें होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाए रखने की प्रबल जन-आंकाक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यतायें निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन नीतियों एवं उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। इन उपरोक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। बारों नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गई है।

3.1 नियोजन की नीतियों :-

राजस्थान प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी भाग का बारों नगर एक महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय है। यह प्रशासनिक दृष्टि से कोटा सम्भाग में अपना विशेष महत्व रखता है। यहां के आसपास का क्षेत्र कृषि भूमि एवं वन सम्पदा से धनी है। इस प्रकार बारों वाणिज्य एवं व्यवसाय, विभिन्न सामाजिक

एवं आर्थिक गतिविधियों एवं प्रशासनिक क्रियाओं का आसपास के क्षेत्र के लिए प्रमुख केंद्र बना रहेगा। आसपास की तहसीलों का काफी बड़ा भाग चम्बल की नहरों द्वारा सिंचित होता है। यहां की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। थर्मल गैस परियोजना यहां से 22 कि० मी० दूर अंता में स्थित है। बाराँ कृषि आधारित उद्योगों एवं वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र आवश्यक रूप से बना रहेगा इसलिए बाराँ को अपने क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केंद्र माना गया है।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त :-

बाराँ नगर के नियोजित विकास हेतु प्रथम मास्टर प्लान 1988-2011 तैयार किया गया था। किन्तु बाराँ का विकास कतिपय कारणों से पूर्ण रूप से मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप नहीं हो सका। अतः नया मास्टर प्लान बनाने के लिए वर्तमान विशेषताओं, गत मास्टर प्लान प्रस्तावों एवं वर्तमान विकास की तुलनात्मक समीक्षा एवं उक्त नीतियों के अध्ययन पर आधारित नियोजन के सिद्धान्त बनाये गये हैं :

1. बाराँ के पुराने क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। आवासीय घनत्व में विषमताओं को कम किया जाना चाहिए। नये आवासीय क्षेत्र एवं कार्य केंद्र मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये जाने चाहिये, ताकि पुराने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में बसने के लिये आकृष्ट हों।
2. नये क्षेत्रों को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिये कि नये क्षेत्रों एवं पुराने शहर में उचित सामाजिक एवं भौतिक सामंजस्य बना रहे।
3. सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं एवं आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का विकास शहर में उचित रूप से वितरण करते हुए किया जाना चाहिये।
4. नए आमोद-प्रमोद के स्थानों को विकसित करते समय यथा सम्भव सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों का चयन किया जाना चाहिए।
5. राजकीय और अर्द्ध राजकीय कार्यालय संगठित परिसरों में इस प्रकार स्थापित किए जाने चाहिए कि उन्हें आवास हेतु समीप ही भूमि उपलब्ध हो और वे मुख्य मार्गों पर स्थित हों।
6. वाणिज्यिक गतिविधियां इस प्रकार वितरित की जानी चाहिए कि शहर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रतिदिन आवागमन की आवश्यकता न पड़े। नये वाणिज्यिक केंद्र नये आवासीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं हेतु सही स्थितियों में विकसित किये जाने चाहिये। इससे नगर के पुराने व्यावसायिक केंद्रों में भीड़ कम होगी।
7. भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहर में संगठित लघु उद्योग एवं गृह उद्योगों की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे शहर के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके व सामान्य व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो। शहर के समीप प्रदूषणजनित उद्योगों की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए ताकि शहर के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
8. जिस स्थान पर रेल्वे लाईन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग एक-दूसरे को पार करते वहाँ पर यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज प्रस्तावित करने चाहिए। यदि स्थिति वश यह संभव नहीं हो तो अन्डरपास प्रस्तावित करने चाहिए जिससे यातायात सुगम हो सके। भू-उपयोग योजना व यातायात संरचना को एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को नगर के भीतर से बचाने के लिए बाईपास मार्ग का प्रावधान किया जाना चाहिए।

9. औद्योगिक क्षेत्र जो कि मुख्य कार्य क्षेत्र होते हैं वायु की दिशा के अनुसार स्थापित किये जाने चाहिये, ताकि वे आसपास की आबादी, जल स्रोतों व पर्यावरण को दूषित न करें। इस प्रकार के छोटे नगरों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने चाहिये।
10. नगर के विभिन्न मार्गों के समुचित उपयोग करने हेतु यातायात संरचना में बहुस्तरीय व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिये। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय नगरीय यातायात से मिश्रित नहीं होने दिया जाना चाहिये। नगर में उचित स्थान पर बसस्टैंड एवं ट्रक टर्मिनल विकसित किये जाने चाहिये।
11. प्राकृतिक नदी, तालाबों एवं पर्यटन आकर्षण के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों का संरक्षण एवं विकास किया जाना चाहिये।
12. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिये और प्रत्येक योजना क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, कार्य क्षेत्रों, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर हों। इसी क्रम में प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिए विस्तृत योजनायें तैयार की जानी चाहिये।
13. मास्टर प्लान के अनुरूप पेयजल, जल-मल निकास, विद्युत एवं परिसंचरण इत्यादि की ढाँचागत विकास हेतु विस्तृत योजनायें तैयार की जानी चाहिये।
14. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र होना चाहिये, जिससे स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति के साथ, अव्यवस्थित विकास की प्रक्रिया को रोका जा सके।
15. हाड़ौती क्षेत्र आर्थिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदाओं के भरपूर हैं। बारों नगर के मास्टर प्लान के अलावा क्षेत्रीय विकास की योजना भी तैयार की जानी चाहिये, ताकि बारों नगर का क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकास हो सके।
16. पुराने क्षेत्रों में जहां सड़कें संकड़ी हैं एवं यातायात की समस्या है, वहां पर नई निर्माण/पुनर्निर्माण की स्वीकृति देते समय पार्किंग का उचित प्रावधान रखा जाना चाहिये। इन क्षेत्रों में थोक वाणिज्यिक गतिविधियों को बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये, ताकि पुराने क्षेत्र में यातायात की समस्या में कमी हो। साथ ही यहां पर यातायात प्रबंधन भी बेहतर किया जाना चाहिये।
17. संकड़ी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने एवं उसे अन्यत्र जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान प्रस्तावित करने होंगे। विशिष्ट प्रकार के थोक व्यापार, ट्रांसपोर्ट नगर तथा भण्डारण एवं गोदाम, भारी यातायात को बढ़ाते हैं। उनके लिए घनी आबादी से दूर नये क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिये।
18. अनौपचारिक व्यवसाय हेतु योजनाओं में उचित प्रावधान रखा जाना आवश्यक है, ताकि सड़कों पर थड़ी के रूप में अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर रोक लगे एवं यातायात में सुधार हो।
19. योजनाओं में छोड़े गये उद्यानों के विकास एवं वृक्षारोपण हेतु अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे पौधारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। नालों के सहारे उस क्षेत्र में जो भूमि विकास योग्य नहीं है, उन पर भी सघन पौधारोपण किया जाना चाहिये।

20. बारों में औद्योगिक वातावरण हेतु सभी आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, पानी, विद्युत, पर्याप्त व उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये।
21. आबादी के मध्य स्थित औद्योगिक इकाईयों को हटाया जाना चाहिए एवं इनके स्थान पर अन्य नगरीय उपयोग विकसित किये जाने चाहिये ताकि स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके।
22. नदियों, तालाबों एवं नालों के सहारे-सहारे निर्धारित दूरी तक भूमि खुली रखी जानी चाहिये, ताकि इनका उचित रख रखाव हो सके तथा आस पास के क्षेत्र जल भराव से सुरक्षित रहे।
23. बारों नगर में बाढ़ की समस्या है। अतः बाढ़ नियंत्रण हेतु विस्तृत कार्य-योजना बनाया जाकर नगर को बाढ़ से सुरक्षित किया जाना चाहिये।

भावी आकार

बारों नगर के नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत बारों सहित 27 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिनका कुल क्षेत्रफल 42340 एकड़ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 118157 है तथा क्षितिज वर्ष 2033 तक जनसंख्या लगभग 2,51,000 हो जाने का अनुमान है, जो 2011 की जनसंख्या की दो गुना से अधिक है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विस्तृत योजना तैयार की गई है। नगर के भावी विस्तार हेतु 10213 एकड़ नगरीकरण योग्य योजना क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

4.1 जनांकिकी :

वर्ष 1961 से 2011 तक के पिछले 50 वर्षों के दौरान बारों नगर की जनसंख्या 22764 से बढ़कर लगभग 118157 हो गई है। वर्ष 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 50.20 प्रतिशत है, जो काफी अधिक है। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार व आसपास के क्षेत्रों से प्रवासन हो रहा है। आगामी वर्षों में बारों नगर प्रशासनिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विकास का मुख्य केंद्र रहेगा ऐसी सम्भावना है। अतः विकास की प्रवृत्ति एवं विकास की सम्भावनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि क्षितिज वर्ष 2033 तक नगर की जनसंख्या 2,51,000 हो जायेगी। जनसंख्या वृद्धि का आंकलन करते समय प्राकृतिक वृद्धि, प्रशासन, सरकार की विकास योजनाओं व कृषि विपणन आदि से नगर की अर्थव्यवस्था पर भावी प्रभावों की सम्भावनाओं का पूर्ण ध्यान रखा गया है। तालिका संख्या 8 में बारों में वर्ष 1901 से 2033 तक की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमानों को दर्शाया गया है :

तालिका संख्या - 8

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान - बारों 1901-2033

क्र०सं०	वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि-दर
1	1901	7892	-	-
2	1911	9507	1615	20.46
3	1921	10157	650	6.84
4	1931	11471	1314	12.94
5	1941	14087	2616	22.81
6	1951	20419	6332	44.95
7	1961	22764	2345	11.48
8	1971	29809	7045	30.95
9	1981	42000	12191	40.90
10	1991	57719	15719	37.42
11	2001	78665	20945	36.28
12	2011	118157	39492	50.20
13	*2021	167000	48843	41.33
14	*2031	233000	66000	39.52
15	*2033	251000	18000	7.72

स्रोत: जनगणना भारत सरकार, आंकलन एवं अनुमान।

4.2 व्यावसायिक संरचना :

बारों जिले की प्रस्तावित संरचना विगत प्रवृत्तियों, प्रशासनिक एवं जनांकिकी विशेषताओं व सीमित आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के विकास की सम्भावनाओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2001 में बारों नगर का सहभागिता अनुपात 28.39 प्रतिशत था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बारों शहर में कुल 22330 व्यक्ति कार्यशील थे। वर्ष 1991 में व्यापार व वाणिज्यिक में सफल कार्यशील व्यक्तियों के 28.27 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत थे, जिससे स्पष्ट होता है कि बारों शहर व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र है। यह अनुमानित किया गया है कि वर्ष 2033 तक बारों शहर में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात लगभग 30 प्रतिशत होगा एवं कुल काम करने वालों की संख्या 75300 होने की सम्भावना है। क्षितिज वर्ष 2033 की अनुमानित व्यावसायिक संरचना में यह अनुमान लगाया गया है कि नगर में व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में तीव्र गति से वृद्धि होगी, जिससे शहर में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 24 प्रतिशत व्यापारिक एवं वाणिज्यिक में अनुमानित किया गया है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि नगर के विकास के साथ निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होगी। अतः निर्माण में कार्यशील व्यक्तियों का अनुमान 8 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। वर्ष 2033 की व्यावसायिक संरचना को तालिका संख्या 9 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या - 9

अनुमानित व्यावसायिक संरचना बारों - 2033

क्र०सं०	व्यवसाय	कामगारों की संख्या	कामगारों का प्रतिशत
1	कृषि एवं सहायक गतिविधियां	6777	9
2	उद्योग	15060	20
3	व्यापार एवं वाणिज्य	18072	24
4	निर्माण	6024	8
5	परिवहन	6777	9
6	अन्य सेवार्यें	22590	30
	योग :	75300	100

4.3 नगरीय क्षेत्र :

बारों का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार ने नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा (3) की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक प.10 (3) नविआ/3/86, जयपुर दिनांक 13.06.08 जारी कर बारों सहित 27 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 42340 एकड़ है। नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट तीन पर दी गई है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :

बारों शहर की जनसंख्या वर्ष 2001 में 78665 से बढ़कर मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2033 में 2,51,000 हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2011 में बारों शहर की जनसंख्या लगभग 1,18,157 अनुमानित की गई है। इस प्रकार योजना अवधि (2011 से 2033) के दौरान नगर की कुल जनसंख्या वृद्धि लगभग 1,33,000 होने का अनुमान है। नगर में इस बड़ी हुई आबादी के लिए आवास, कार्यक्षेत्र, मनोरंजन व अन्य कार्यों हेतु अतिरिक्त भूमि का प्रावधान किया जाना है। विकास के वांछित मापदण्डों को ध्यान में रखकर नगर की कुल अनुमानित 2,51,000 आबादी के लिए विभिन्न गतिविधियों की आवश्यकता हेतु लगभग 10213 एकड़ भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र हेतु (वर्ष 2033 तक के लिए) प्रस्तावित की गई है। वर्तमान भौतिक विशेषतायें व विकास प्रवृत्ति बताती है कि नगरीय विकास अधिकतर शहर के पश्चिम में कोटा मार्ग पर बमूलिया तक, उत्तर में नलका ग्राम व डोल तालाब के आसपास मांगरोल मार्ग पर बाणगंगा व पाटेदा नाला से सुसावन ग्राम तक, दक्षिण पूर्व में अटरू सड़क व झालावाड़ सड़क के मध्य में एवं पूर्व में शाहबाद सड़क पर व अन्य नगरीय विस्तार रेलवे लाईन के दक्षिण-पश्चिम की ओर होने की सम्भावना है। योजना में केवल ऐसी कृषि भूमियों का उपयोग किया गया है जो शहर के निकट होने के कारण उन पर नगरीय विकास का दबाव है।

4.5 योजना क्षेत्र :

विद्यमान विशेषताओं, आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि उपयोगों, प्राकृतिक अवरोधों एवं विभिन्न गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखकर बारों नगर के नगरीय क्षेत्र को 5 योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जिनमें से 4 नगरीय विकास के एवं 1 परिधि नियंत्रण योजना क्षेत्र है। प्रथम 4 योजना क्षेत्रों में से प्रत्येक योजना क्षेत्र आवास, दुकानों, आमोद-प्रमोद एवं अन्य सुविधाओं में आत्म निर्भर होगा। विस्तृत योजना के लिए योजना क्षेत्र को सेक्टर प्लान के माध्यम से विभाजित कर चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जायेगा। चारों योजना क्षेत्र एवं उनका क्षेत्रफल निम्न तालिका संख्या 10 में दर्शाया गया है :

तालिका संख्या - 10
योजना क्षेत्र - बारों - 2033

क्र०सं०	योजना क्षेत्र	क्षेत्रफल (एकड़ में)
अ	कोटा सड़क योजना क्षेत्र	2802
ब	डोल तालाब योजना क्षेत्र	1720
स	शाहबाद सड़क योजना क्षेत्र	2912
द	झालावाड़ सड़क योजना क्षेत्र	2779
य	परिधि नियंत्रण योजना क्षेत्र	32127
	कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	42340

(अ) **कोटा सड़क योजना क्षेत्र:-**

इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 2802 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में कोटा सड़क के उत्तर में रेलवे लाईन तक एवं दक्षिण में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य सीमा तक का क्षेत्र सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र में मिनि सचिवालय, रीको का औद्योगिक क्षेत्र, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय इत्यादि स्थित हैं। इस योजना क्षेत्र में नये स्थल भी प्रस्तावित किये गये हैं, जिनमें मुख्यतः सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि, भण्डारण एवं गोदाम, महाविद्यालय, स्टेडियम, व्यावसायिक शिक्षा हेतु स्थल, अस्पताल, प्रस्तावित बसस्टैण्ड, वाणिज्यिक केन्द्र एवं आवासीय क्षेत्र इत्यादि प्रस्तावित किये गये हैं। यह क्षेत्र भविष्य में आवासीय, वाणिज्यिक, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधायें इत्यादि की दृष्टि से आत्म निर्भर रहेगा।

(ब) **डोल तालाब योजना क्षेत्र:-**

इस योजना का कुल क्षेत्रफल लगभग 1720 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में रेलवे लाईन के उत्तर एवं मांगरोल सड़क के पश्चिम का क्षेत्र स्थित है। इस योजना क्षेत्र में सामान्य चिकित्सालय, महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, कृषि उपज मण्डी, डोल तालाब, वन विभाग कार्यालय, नगर पालिका, डाक बंगला, बसस्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, पुराने वाणिज्यिक क्षेत्र इत्यादि स्थित हैं। इस योजना क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के विस्तार के लिए अतिरिक्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं, जिनमें मुख्यतः कृषि उपज मण्डी के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि, वाणिज्यिक केन्द्र, अन्य सामुदायिक सुविधायें, खुले स्थल, डिस्पेंसरी तथा आवासीय क्षेत्रों का प्रावधान रखा गया है। यह क्षेत्र भविष्य में आवासीय, वाणिज्यिक, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा इत्यादि की दृष्टि से आत्म निर्भर रहेगा।

(स) **शाहबाद सड़क योजना क्षेत्र:-**

इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 2912 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में मांगरोल सड़क के पूर्व, रेलवे लाईन के उत्तर तथा शाहबाद सड़क के उत्तर व दक्षिण में नगरीयकरण योग्य सीमा तक का क्षेत्र सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र में पुराने बाजार, पुराना आबादी क्षेत्र, रावणजी का चौक, मोटर रिपेयर दुकानें, पुराने मंदिर, नये आवासीय क्षेत्र इत्यादि स्थित हैं।

इस योजना क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के विस्तार के लिये अतिरिक्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं, जिनमें मुख्यतः वाणिज्यिक केन्द्र, महाविद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा हेतु स्थल, खुले स्थल, पशु चिकित्सालय, सामुदायिक सुविधायें, जनोपयोगी सुविधायें तथा आवासीय क्षेत्र का प्रावधान रखा गया है। यह क्षेत्र भविष्य में आवासीय, वाणिज्यिक, शैक्षणिक इत्यादि की दृष्टि से आत्म निर्भर रहेगा।

(द) **झालावाड़ सड़क योजना क्षेत्र:-**

इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 2799 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में रेलवे लाईन के दक्षिण में झालावाड़ सड़क के पूर्व एवं पश्चिम का नगरीयकरण योग्य सीमा तक का क्षेत्र सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के विस्तार के लिये अतिरिक्त स्थल

प्रस्तावित किये गये हैं,जिनमें मुख्यतः यातायात नगर, थोक व्यापार, भण्डारण एवं गोदाम, महाविद्यालय, वाणिज्यिक केन्द्र, डिस्पेंसरी, खुले स्थल तथा आवासीय क्षेत्र का प्रावधान रखा गया है। यह क्षेत्र भविष्य में आवासीय, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, चिकित्सा इत्यादि की दृष्टि से आत्म निर्भर रहेगा।

(य) **परिधि नियंत्रण योजना क्षेत्र:-**

परिधि नियंत्रण योजना क्षेत्र में वर्ष 2033 तक के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य सीमा एवं नगर सुधार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। परिधि नियंत्रण योजना क्षेत्र का उद्देश्य नगर की परिधि में व सड़कों के सहारे-2 होने वाले अनियोजित विकास को रोकना है। इसका क्षेत्रफल 32127 एकड़ है। कृषि एवं सहायक गतिविधियां ही इस योजना क्षेत्र में स्वीकृति योग्य होंगी। इस योजना क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित राज मार्ग सेवा केंद्र, पेट्रोल पम्प, ग्रामीण आबादी का विस्तार, गौशाला, दुग्ध शाला, मोटल, कुक्कुट शालायें, रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, ईट भट्टे, चूना भट्टे तथा कृषि आधारित लघु उद्योग भी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वीकृत किये जा सकेंगे।

5 भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना विभिन्न योजनागत नीतियों और सिद्धांतों का स्थानिक विस्तार के रूप में रूपान्तरण है। इसकी रचना शहर की वर्तमान विशेषताओं तथा विद्यमान एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गई है। नगरीय भूमि एक दुर्लभ संसाधन है। अतः इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो, समस्त आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। बारों नगरीय क्षेत्र की भू-उपयोग योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है, ताकि समस्त संबंधित नगरीय समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान हो सके। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समुचित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को देखते हुए विभिन्न नगरीय उपयोगों हेतु स्थल प्रस्तावित किए गए हैं। वर्ष 2033 तक की आवश्यकताओं हेतु 9589 एकड़ विकास योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 3923 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 40.91 प्रतिशत है, वाणिज्यिक 3.89 प्रतिशत, औद्योगिक 3.65 प्रतिशत सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी 1.34 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक 3.56 प्रतिशत आमोद-प्रमोद 3.08 प्रतिशत, हाईवे डवलपमेंट कंट्रोल क्षेत्र 29.66 प्रतिशत एवं परिसंचरण 13.91 प्रतिशत प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2033 के प्रस्तावित भू-उपयोग को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या- 11
प्रस्तावित भू-उपयोग योजना, बारों -2033

क्रम संख्या	श्रेणी	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	3923.00	40.91	38.41
2.	वाणिज्यिक	373.50	3.89	3.66
3.	औद्योगिक	350.00	3.65	3.43
4.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	128.50	1.34	1.25
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	342.00	3.56	3.55
6.	आमोद-प्रमोद	295.00	3.08	2.89
7.	हाईवे डवलपमेंट कंट्रोल क्षेत्र	2844.00	29.66	27.85
8.	परिसंचरण	1333.00	13.91	13.05
	प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र	9589.00	100	93.89
8.	वृक्षारोपण	346.00	-	3.39
9.	जलाशय	278.00	-	2.72
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	10213.00		100

5.1 आवासीय :

5.1 (1) आवासन:-आवासीय क्षेत्रों की भू उपयोग योजना इस ढंग से तैयार की गई है, कि इससे स्वस्थ सामुदायिक पर्यावरण को प्रोत्साहन तथा कार्य-स्थलों और आमोद-प्रमोद के स्थल तक आने-जाने के समय में कमी हो। युक्ति संगत आवासीय विकास, नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा, जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होंगे एवं लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट जनोपयोगी सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 2,51,000 व्यक्तियों को बसाने के लिए वर्ष 2033 तक लगभग 3923 एकड़ आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। औसत आवासीय घनत्व लगभग 64.0 व्यक्ति प्रति एकड़ होगा। नगर के भीतरी भाग एवं कार्य केन्द्रों के समीप अपेक्षाकृत उच्च आवासीय घनत्व प्रस्तावित किया गया है, ताकि अधिकतर लोग इनके समीप ही रह सकें। प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के लिए दो प्रकार के आवासीय घनत्व क्रमशः 75 प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक मध्यम घनत्व एवं 75 व्यक्ति प्रति एकड़ तक अल्प घनत्व प्रस्तावित किए गए हैं। किसी भी आवासीय क्षेत्र को 50 व्यक्ति प्रति एकड़ से कम आवासीय घनत्व पर विकसित नहीं किया जाएगा।

आवासीय उपभोग समुदाय की एक प्राथमिक आवश्यकता है और इसके अंतर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर पालिका आवास परियोजना तैयार करें और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध करायें। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भूखण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए, ताकि व्यवस्थित क्रम में लोगों की आवासीय मांग को पूरा किया जा सके। राज्य सरकार की टाउनशिप नीति के प्रावधानों के तहत एवं अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को उचित दर पर भू-खण्ड एवं आवास उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

5.1(2) मिश्रित उपयोग:-

मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत 24 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर एकल गहराई अथवा सड़क की चौड़ाई के डेढ़ गुना तक (जो भी कम हो) में मिश्रित उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन पश्चात अनुज्ञेय होगा। मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत खुदरा व्यावसायिक, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पम्प, मेरिज हॉल, सामुदायिक भवन, जिम केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक विद्यालय, नर्सिंग होम (10 बिस्तर तक) व अन्य सामुदायिक सुविधायें देय होंगी।

5.1 (3) नगरीय नवीनीकरण एवं कच्ची बस्तियाँ:-

नगर के पुनर्स्थापना एवं पुनर्विकास के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नवीनीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। पुनर्स्थापना कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए चलाया जाएगा जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और महत्वपूर्ण स्मारकों या मानव के लिए खतरा बन सकते हैं। पुनर्विकास का कार्य उन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा जहाँ झुग्गी-झोपड़ियाँ स्थापित हो चुकी हैं और जिन्हे हटाया जाना सम्भव नहीं है। कच्ची बस्ती क्षेत्रों में सुधार और उनके पुनर्विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाए कि विस्थापन कम से कम हो। ऐसी योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे रोशनी, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सड़कें आदि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आई.एच.एस.डी.पी. योजना एवं राजीव आवास योजना के अन्तर्गत आवास सुविधा उपलब्ध करवाया जाना एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

5.2 वाणिज्यिक:-

यद्यपि प्रशासनिक दृष्टि से बारों का महत्व है तथापि चम्बल सिंचित क्षेत्र व उपजाऊ भूमि के समीप स्थित व राष्ट्रीय राजमार्ग-27 व रेलमार्ग से जुड़ा हुआ होने के कारण यह शहर व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र है। महाराणा प्रताप चौक के आसपास अस्पताल सड़क व स्टेशन सड़क पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ चल रही हैं। कृषि उपज मण्डी, कोटा सड़क एवं मांगरोल सड़क पर व्यापारिक गतिविधियाँ चल रही हैं। आशा है, कि वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यों में कुल काम करने वाले व्यक्तियों का 24 प्रतिशत क्षितिज वर्ष 2033 तक कार्यरत होंगे। मास्टर प्लान में कुल 373.50 एकड़ क्षेत्र इन क्रिया-कलापों हेतु प्रस्तावित किया गया है। इन गतिविधियों को कस्बे में विभिन्न भागों में अधिक तर्क-संगत रूप से वितरित किए जाने और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए एक पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ताकि विभिन्न स्तरों पर वाणिज्यिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, जैसा कि तालिका संख्या 12 में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या- 12
प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण-बारों-2033

क्रम संख्या	गतिविधियों का प्रकार	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र (पुराना शहर)	22.0
2.	वाणिज्यिक केन्द्र	46.0
3.	अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र	36.50
4.	थोक व्यापार	183.0
5.	भण्डारण एवं गोदाम	86.0
	योग	373.50

5.2(1) मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र:-

वाणिज्यिक गतिविधियाँ थोक एवं फुटकर व्यापार पुराने नगर के बाजारों में ही सम्पन्न होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कपड़ा मार्केट, सर्राफा, किराना जनरल मर्चेन्ट एवं बर्तन इत्यादि वाणिज्यिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। पुराने शहर के पश्चिमी सीमा पर स्थित नाले एवं मांगरोल रोड के सहारे लकड़ी व पत्थर के स्टॉक अव्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। महाराणा प्रताप चौक के आसपास, अस्पताल सड़क से स्टेशन सड़क पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ चल रही हैं। शहर में प्रस्तावित वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ-साथ पुराना शहर मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र बना रहेगा।

5.2(2) वाणिज्यिक केन्द्र:-

बारों शहर में नए विकसित किए जाने वाले क्षेत्रों की वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं। इन केन्द्रों में खुदरा दुकानों जल पान गृह, छवि गृह, बैंक, डाकघर व पेट्रोल पम्प इत्यादि स्थित होंगे। इनकी स्थिति मय क्षेत्रफल तालिका संख्या 13 में दर्शायी गई है।

तालिका संख्या- 13
प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्रों का विवरण बारों-2033

क्रम संख्या	प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र	क्षेत्रफल(एकड़ में)
1.	कोटा सड़क पर	10.0
2.	कृषि उपज मण्डी के पश्चिम में	8.0
3.	डोल तालाब के उत्तर में	9.0
4.	झालावाड़ सड़क के पश्चिम में	5.0
5.	शाहबाद सड़क पर	14.0
योग :		46.0 एकड़

5.2(3) अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र:

बारों नगर में अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र और स्थानीय केन्द्र पुराना शहर एवं अन्य मुख्य सड़कों पर ऐसी जगहों पर जहाँ वितरण की दृष्टि से इनकी जरूरत है, अन्य वाणिज्यिक केन्द्रों का प्रावधान किया गया है। नवीन रूप में विकसित होने वाले क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार वाणिज्यिक स्थल शॉपिंग सेन्टर के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि अनाधिकृत रूप में वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित न हो।

5.2(4) थोक व्यापार:-

बारों जिले में 'अ' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी है, जो हॉस्पिटल रोड़ पर स्थित है। कृषि उपज मण्डी को यथावत रखते हुए इसके विस्तार हेतु अतिरिक्त 35.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 145 एकड़ है। थोक एवं फुटकर व्यापार पुराने नगर के बाजारों में ही सम्पन्न होता है। फर्नीचर एवं भवन निर्माण सामग्री आदि हेतु कोई व्यवस्थित बाजार नहीं है। पुराने शहर के पश्चिमी सीमा पर स्थित नाले एवं मांगरोल रोड़ के सहारे लकड़ी व पत्थर के स्टॉक अव्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। अतः थोक व्यापार हेतु झालावाड़ सड़क के पूर्व में बाईपास के समीप 38.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.2(5) भण्डारण एवं गोदाम:-

वर्तमान में भण्डारण एवं गोदाम मुख्य रूप से कोटा सड़क व बस अड्डे के पश्चिम में स्थित है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए भण्डारण एवं गोदाम हेतु कोटा सड़क के उत्तर में 45.0 एकड़, झालावाड़ सड़क के पूर्व में 28.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार भण्डारण एवं गोदाम के अंतर्गत कुल 86.0 एकड़ भूमि रखी गई है। वर्तमान में विकसित क्षेत्र के मध्य कुछ स्थानों पर संकड़ी सड़कों पर भण्डारण एवं गोदाम की गतिविधियाँ संचालित हैं। जो नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः मास्टर प्लान प्रस्ताव में ऐसे स्थलों पर अन्य नगरीय उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं।

5.3 औद्योगिक:

नगरीयकरण के साथ-साथ उद्योगों का विकास भी होता है। वर्तमान में बारों शहर में 170.0 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है, जो विकसित क्षेत्र का लगभग 8.10 प्रतिशत है। उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1991 एवं 2001 में क्रमशः 3252 (20.41 प्रतिशत) एवं 2065 (9.25 प्रतिशत) थी। आसपास के क्षेत्र में कृषि उत्पादन अधिक होने के कारण कृषि आधारित उद्योगों की प्रबल सम्भावना है। बारों शहर में वर्ष 2033 तक कुल श्रमिकों का 20 प्रतिशत भाग औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत होने का अनुमान है। बारों नगर में विकसित क्षेत्र के मध्य झालावाड़ सड़क, अटरू सड़क, मांगरोल सड़क पर तथा कृषि उपज मण्डी के समीप औद्योगिक ईकाईयां स्थित हैं। आबादी के मध्य औद्योगिक ईकाईयाँ रखा जाना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः मास्टर प्लान प्रस्ताव में इनके स्थान पर अन्य नगरीय उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं।

5.3(1) औद्योगिक क्षेत्र :

यहाँ पर रीको द्वारा कोटा सड़क पर काजीखेड़ा के पास औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 150.0 एकड़ है। इसी से सटे हुए लगभग 200.0 एकड़ अतिरिक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र का चयन वायु बहाव की दिशा, आवागमन सुविधा, माल व व्यक्तियों के परिवहन के साधन, अधिक बेहतर एवं आवासीय एवं कार्य क्षेत्र संबंध को ध्यान में रखते हुए किया गया है। रीको द्वारा मास्टर प्लान में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के अनुरूप भविष्य में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना उचित होगा। साथ ही रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाते समय वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु औद्योगिक क्षेत्र की परिधि पर त्रिस्तरीय वृक्षारोपण विकसित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले जल एवं ठोस अपशिष्ट से जलाशय प्रदूषित न हों।

5.3(2) घरेलू उद्योग:

आवासीय क्षेत्र में घरेलू उद्योग चालू रहने दिए जा सकते हैं। इन इकाइयों की स्थिति गुण-दोष के आधार पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि, धुआँ, रासायनिक प्रदूषण, परिवहन समस्या, औद्योगिक अवशेष विसर्जन पद्धति इत्यादि पर विचार करके अनुमति दी जाएगी, जिससे उपरोक्त किसी प्रकार की समस्या विशेषकर आवासीय क्षेत्रों में उत्पन्न न हों।

5.4 सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय:

बारों शहर जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर लगभग सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित हैं। बारों शहर में सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत 64.50 एकड़ क्षेत्र उपलब्ध है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का लगभग 3.10 प्रतिशत है। वर्तमान में अधिकांश कार्यालय राजकीय भवनों में चल रहे हैं। फिर भी कई कार्यालय निजी आवासीय भवनों एवं किराए के भवनों में चल रहे हैं। वर्ष 2033 तक विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में लगभग 3390 व्यक्ति कार्यरत होने का अनुमान है। वर्ष 2033 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगभग 45.0 एकड़ भूमि वर्तमान् मिनी सचिवालय के उत्तर में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों हेतु प्रस्तावित की गई है। जहाँ पर सभी कार्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान रहेगा।

5.5 आमोद-प्रमोद:

वर्तमान में बारों शहर में आमोद-प्रमोद के अंतर्गत कुल 15.0 एकड़ भूमि विकसित है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 0.71 प्रतिशत है। बारों में शहरी स्तर के आमोद-प्रमोद स्थल, खेल मैदान एवं उद्यान पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हो सके हैं। यहाँ पर शहर के विकास के साथ उद्यानों एवं खुले स्थलों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। वर्ष 2033 तक की आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थलों पर 295.00 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.5(1) उद्यान एवं खुले स्थल:-

सार्वजनिक उद्यान एवं खुले स्थलों को सामान्य तौर पर नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है। ये किसी सीमा तक सामाजिक एवं भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक स्थलों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्ति संगत प्रावधान किया जाना आवश्यक है। नगर में उद्यानों एवं खुले स्थलों हेतु लगभग 275 एकड़ भूमि विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में बारों शहर में मुख्य रूप से चार प्रमुख पार्क विवेकानन्द पार्क, नेहरू पार्क एवं दीन दयाल उपाध्याय पार्क एवं शिवाजी नगर पार्क है। विवेकानन्द पार्क कोटा सड़क पर गौशाला के पास, दीन दयाल उपाध्याय पार्क, शाहबाद सड़क व झालावाड़ सड़क के तिराहे पर एवं नेहरू पार्क पुराने शहर के अंदर स्थित है। नगर के विभिन्न भागों में आवश्यकता अनुसार बाग व खुले स्थल विकसित किए जाने का प्रावधान किया गया है। नगर में स्थित जलाशयों के आसपास खुला स्थल प्रस्तावित किया गया है।

5.5(2) स्टेडियम एवं खेल मैदान :

बारों शहर में वर्तमान में कोई स्टेडियम नहीं है। सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास खुला स्थल है, जो स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वह अपर्याप्त है। यह सार्वजनिक समारोह एवं खेल मैदान हेतु काम में लाया जाता है। रावणजी का चौक एक ओर दूसरा खुला स्थल है, जोकि शहर के दक्षिण की ओर स्थित है, जोकि दशहरा मेले हेतु अपर्याप्त है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष 2033 के लिए स्टेडियम एवं खेल मैदान हेतु 13.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.5(3) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन :

अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की सुविधायें, जिसमें म्यूजियम, आर्ट गैलरी, क्लब, सिनेमा जैसे भू उपयोग शामिल हैं, के लिए स्थल प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्रों में एवं सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक स्थलों में उपलब्ध कराया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर आवासीय योजना बनाते समय भी ऐसे स्थलों का प्रावधान किया जायेगा।

5.5(4) मेले एवं पर्यटन सुविधायें :

वर्तमान में बारों शहर के दक्षिण में रावणजी का चौक एक खुला स्थल है जो दशहरा मेले हेतु अपर्याप्त है। एक दूसरा स्थल डोल मेला स्थल है जहां प्रतिवर्ष डोल मेला भरता है। भविष्य में वर्ष 2033 में मेला स्थल हेतु विद्यमान स्थल यथावत् रखे गये हैं।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सन् 2010 में 195.0 एकड़ भूमि थी, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 9.29 प्रतिशत है। अतः आबादी विस्तार के अनुपात में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम हुई है। सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें सम्मिलित हैं। इन सुविधाओं के लिए कुल 342.0 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित है, जो विकास योग्य क्षेत्र का 3.56 प्रतिशत है।

5.6(1) शैक्षणिक :

बारों शहर में वर्तमान में राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों सहित 28 प्राथमिक व 59 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। यहां 3 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमशः 2 छात्र एवं 1 छात्राओं हेतु है। यहां पर 2 राजकीय महाविद्यालय है, जिसमें से एक कन्या महाविद्यालय है। एक संस्कृत महाविद्यालय कोटा सड़क पर स्थित है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झालावाड़ सड़क पर स्थित है। नगर में वर्तमान व नए विकसित किये जाने वाले आवासीय क्षेत्रों में शैक्षणिक दृष्टि से पर्याप्त आकार के स्थल उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु प्रस्तावित किये गये हैं। झालावाड़ सड़क के पूर्व एवं पश्चिम में दो महाविद्यालय हेतु एवं कोटा सड़क के उत्तर में व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

वर्ष 2033 की अनुमानित शैक्षणिक संरचना को तालिका संख्या 14 में दर्शाया गया है :

तालिका संख्या - 14
प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना - बारों - 2033

क्र०सं०	विद्यालय स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय में जाने योग्य विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या	अनुमानित विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक	1-10	15000	75
2	उच्च प्राथमिक	11-13	21500	86
3	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक	14-17	24500	100
	योग :		61000	261

5.6(2) चिकित्सा :

बारों शहर में राजकीय चिकित्सालय कृषि उपज मण्डी समिति सड़क पर स्थित है। इसकी वर्तमान क्षमता 200 शैयाओं की है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय पुराने शहर में स्थित है। इनके अतिरिक्त निजी पंजीकृत नर्सिंग एवं मेटरनिटी होम कार्यरत हैं। अधिकांश नर्सिंग होम अपर्याप्त स्थल व अपर्याप्त सुविधाओं के साथ कार्यरत हैं। अतः भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कोटा सड़क के दक्षिण में लगभग 6.0 एकड़ भूमि सामान्य चिकित्सालय के लिए एवं मांगरोल सड़क के पूर्व में पशु चिकित्सालय के लिए लगभग 11.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुविधाजनक दूरी में उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य केंद्रों/औषधालयों को उचित स्थलों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। आवश्यकतानुसार नगर के विभिन्न भागों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा हेतु भूमि का अंकन किया गया है। स्थानीय स्तर पर ऐसे उपयोगों के लिए विस्तृत आवासीय योजनाओं में भी स्थल निर्धारित किए जा सकते हैं।

5.6(3) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल :

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु विवाह स्थल, प्रदर्शनी स्थल एवं सार्वजनिक भवन जैसी सुविधाओं का प्रावधान शहरी एवं निचले स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है।

5.6(4) अन्य सामुदायिक सुविधायें :

शहर में एक जिला पुस्तकालय एवं नगर पालिका वाचनालय है, जोकि नगर पालिका परिसर में संचालित है। नगर पालिका द्वारा संचालित सामुदायिक भवन राम नगर कॉलोनी तेल फैक्ट्री क्षेत्र में, सुसावन बस्ती, डोल मेला तालाब पाल पर, गौशाला परिसर में एवं रावणजी का चौक में है। यहां पर कई होटल व धर्मशाला हैं, जो पर्यटकों को ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं। बारों में उपलब्ध विद्यमान सामुदायिक सुविधाओं के अतिरिक्त वर्ष 2033 तक की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न स्थलों पर लगभग 25.0 एकड़ भूमि अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.6(5) जनोपयोगी सुविधायें :

जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, जल-मल निस्तारण की व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें हैं। अतः नगर के विकास के साथ-साथ इनका उचित प्रावधान किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में नियाना रोड़ पर आवंटित भूमि पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि परिधि नियंत्रण पट्टी में संचालित होंगे तथापि नगरीय प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत जनोपयोगी सुविधाओं की योजना की जिम्मेदारी संबंधित विभागों यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण विभाग तथा नगर पालिका का दायित्व है।

5.6(5) अ जलापूर्ति :

बारों शहर में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत हीकड़ देह, जो 13 कि०मी० उत्तर में परबन नदी पर है। इसके अलावा ट्यूबवेल एवं हैण्डपम्प से भी शहर में जल वितरण किया जाता है। शहर में जल आपूर्ति जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही है। वर्तमान में औसत जल आपूर्ति 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अतः विद्यमान एवं भावी जनसंख्या के आंकलन के आधार पर वर्ष 2033 तक की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर जलदाय विभाग द्वारा जलापूर्ति के विस्तार हेतु एक विस्तृत योजना तैयार किया जाना चाहिए, ताकि नगर के प्रत्येक भाग में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में समुचित सुधार किया जा सके।

5.6(5) ब (i) जल-मल निकास व्यवस्था:

वर्तमान में बारों नगर में सीवरेज व उचित ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में बारों नगर में व्यक्तिगत रूप से सेप्टिक टैंक बनाकर मल निस्तारण की व्यवस्था का प्रचलन है। जल-मल निकास हेतु संयंत्र का स्थान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा योजना बनाई जाना आवश्यक है।

5.6(5) ब (ii) बाढ़ नियंत्रण:

बाढ़ के कारण बारों नगर का काफी बड़ा भू-भाग प्रभावित होता है जिससे बड़ी मात्रा में जान-माल आदि की हानि होती है। शहर की भौतिक आधारभूत संरचनाएँ सड़क आदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिन्हें पुनः निर्माण में बड़ी धन राशि खर्च होती है। अतः यह आवश्यक है कि बारों शहर हेतु समुचित बाढ़ नियंत्रण योजना तैयार कर इसे बाढ़ से सुरक्षित किया जाये ताकि जान माल की हानि न हो। इस हेतु जल संसाधन विभाग बारों द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है जिसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। योजनान्तर्गत बाणगंगा नदी नलका एवं पाटेदा नालों का ढलान सही किया जाना एवं गहराई व चौड़ाई बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। नगर के अपस्ट्रीम में स्थित तालाबों की क्षमता बढ़ाया जाना एवं नये तालाबों का निर्माण कराया जाना चाहिए। साथ ही नदी नालों पर निर्मित विभिन्न संरचनाओं का सुधार किया जाना आवश्यक है, ताकि जल निकासी सही प्रकार हो सके। बाढ़ से सुरक्षा एवं जलाशयों के संरक्षण हेतु तालाबों, नदियों एवं नालों के सहारे-सहारे खुला क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

5.6(5) स टोस कचरा प्रबन्धन :

स्वच्छ वातावरण के लिए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं इसके पुनः उपयोग की उचित व्यवस्था आवश्यक है। टोस कचरा (सोलिड वेस्ट) निस्तारण हेतु स्थलों का चयन कस्बे से दूर, वायु की दिशा को देखते हुये किया जाना चाहिये। वर्तमान में बारों में घरों से कूड़ा करकट एकत्रित करने हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसके अभाव में नगर पालिका द्वारा अवांछित स्थलों पर टोस कचरे का निस्तारण कर दिया जाता है। टोस कचरा प्रबन्धन हेतु नगर पालिका द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की जानी चाहिये। ऐसी योजना को जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन के तहत शीघ्र बनाकर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है। टोस कचरे के निस्तारण हेतु कलमण्डा आईटीआई के पीछे स्थल चिन्हित है। शाहबाद सड़क के दक्षिण पूर्व में खदान के कारण अनुपयुक्त भूमि पड़ी है, जिसे भी टोस कचरा निस्तारण हेतु प्रस्तावित किया गया है। नगरीय टोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण, परिवहन, भण्डारण, उपचार एवं अन्तिम रूप से निष्पादन हेतु समुचित व्यवस्था की जावे।

5.6(5) द विद्युत आपूर्ति :

बारों शहर में विद्युत तंत्र के रख रखाव व विद्युत वितरण का कार्य जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा संचालित किया जाता है। विद्युत आपूर्ति 33 के0वी0 जीएसएस नियाना एवं 33 के0वी0 जीएसएस शिवाजी नगर के द्वारा होती है। नगर में उक्त प्रयोजन के लिए नगर के विभिन्न भागों में स्थल प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका आवश्यकतानुसार उपयोग लिए जाने का प्रावधान है।

5.6(6) श्मशान एवं कब्रिस्तान :

वर्तमान में बारों शहर में श्मशान, रावणजी का चौक, डोल तालाब के पास, शाहबाद सड़क पर, अटरू सड़क पर स्थित है एवं डोल तालाब के पास कब्रिस्तान स्थित है। भविष्य में नये श्मशान एवं कब्रिस्तान मांग के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति अनुसार स्थापित किये जा सकेंगे।

5.7 हाईवे डवलपमेंट कंट्रोल योजना क्षेत्र :

राष्ट्रीय राजमार्ग-90 बारों-अकलेरा राज्य राजमार्ग-1 पिण्डवाड़ा-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (ईस्ट वेस्ट कोरिडोर का एक भाग) पर एवं इनके प्रस्तावित बाईपास मार्गों पर प्रस्तावित नगरीय भू उपयोग सीमा के पश्चात् 1 किमी. की दूरी तक राजमार्ग के दोनों तरफ 500 मीटर की गहराई तक यह क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

यातायात के नियमों व मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का विकास किया जावेगा, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के सहारे नियंत्रित/नियोजित विकास सम्भव हो सके। आवश्यकता अनुरूप इस क्षेत्र की योजना भी प्रस्तावित की जा सकेगी। इस योजना क्षेत्र में निम्न भू उपयोग अनुज्ञेय होंगे। किसी भी उपयोग को अनुज्ञेय किये जाने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों का ध्यान रखा जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावेगा :-

1. ग्रीन बिल्डिंग/इको फ्रेण्डली हाउसेज/फार्म हाउस
2. आई.टी.पार्क/बायोटेक पार्क
3. इंटिग्रेटेड आवासीय टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग
4. मोटल/रिसोर्ट/हॉलीडे कॉटेज रिसोर्ट/हेल्थ रिसोर्ट
5. एम्यूजमेंट पार्क
6. इंस्टीट्यूशनल/चिकित्सा/शैक्षणिक आदि
7. वेयर हाउसिंग/फूड स्टोरेज गोदाम
8. जनोपयोगी सुविधायें
9. फ्यूअल स्टेशन/पेट्रोल पम्प/सर्विस स्टेशन
10. ट्रांसपोर्टेशन
(ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक स्टैण्ड/टर्मिनल/बस टर्मिनल/हाईवे फेसेलिटीज)
11. कुटीर उद्योग
12. कृषि एवं डेयरी फार्म
13. ग्रामीण आबादी विस्तार एवं अनुसंधान उपयोग
14. अन्य उपयोग राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत अनुज्ञेय होंगे।

यह भू-उपयोग राजमार्गों के साथ-साथ नगरीय विकास के रेखीय स्वरूप को नियोजित तरीके से आत्मसात् करने में सहायक होगा। इस हेतु कुल 2844 एकड़ भूमि प्रस्तावित है।

5.8 परिसंचरण :

किसी भी नगर की परिसंचरण व्यवस्था वहां के भावी भू उपयोग प्रस्तावों का अभिन्न अंग होती है। परिसंचरण हेतु प्रमुख मार्गों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात के आवागमन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, ताकि स्थानीय जनता एवं पर्यटक आदि के आवागमन के लिए उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके। नगर की विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार, वहां पर होने वाले यातायात के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं। बारों नगर अपने आसपास के क्षेत्र के लिए एक सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करता रहेगा। नगर में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार की निकट भविष्य में प्रबल सम्भावनायें हैं। अतः यहां के लिए अपने आसपास के क्षेत्र से वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन एवं आवागमन हेतु कुशल यातायात व्यवस्था होना आवश्यक है। इस भू उपयोग में 1322 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित है।

5.8(1) प्रस्तावित यातायात संरचना :

बारों नगर में वर्तमान में क्षेत्रीय यातायात का भार मुख्य रूप से अन्दर की विद्यमान सड़कों पर रहता है। बारों शहर के मध्य से पिडंवाड़ा-कोटा-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग-27 गुजरता है जोकि पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर का भाग है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं0-90 बारों-अकलेरा व राज्य राज मार्ग-1 से सड़क मार्ग द्वारा राजस्थान के अन्य नगरों से जुड़ा हुआ है इसके अलावा राज्य राजमार्ग 37ए बारों-समसपुर-सीसवाली भी नगरीय क्षेत्र सीमा में से गुजर रहा है। शहर में भारी यातायात एवं स्थानीय

यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है, जिससे यातायात संबंधी कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। बारों शहर का विस्तार कोटा सड़क, मांगरोल सड़क, अटरू सड़क, शाहबाद सड़क, झालावाड़ सड़क के आसपास क्षेत्र में हो रहा है। पुराने नगर में गलियाँ बहुत संकड़ी व टेड़ी-मेढ़ी हैं, जिसके कारण यातायात अवरूद्ध होता है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष 2033 तक बारों शहर के सम्भावित विस्तार को देखते हुये सुगम यातायात हेतु बाईपास, प्रमुख सड़क, उप प्रमुख सड़क एवं मुख्य सड़कों का सड़क प्रतिरूप प्रस्तावित किया गया है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की उत्तर सीमा पर कोटा सड़क को मांगरोल सड़क, शाहबाद सड़क से जोड़ते हुए बाईपास प्रस्तावित किया गया है। दक्षिण दिशा में कोटा सड़क को झालावाड़ सड़क, अटरू सड़क एवं शाहबाद सड़क से जोड़ते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग-27 का बाईपास है। शहर के दक्षिण में स्थित बाईपास व उत्तर में प्रस्तावित बाईपास को शहर की प्रस्तावित अन्य सड़कों से आवश्यकतानुसार जोड़ा गया है। शहर के अन्दरूनी भाग को बाह्य क्षेत्र से जोड़ने तथा सुगम एवं व्यवस्थित यातायात के प्रवाह हेतु मार्गों की क्रमवार व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

5.8(1)(अ) सड़कों का मार्गाधिकार :

मास्टर प्लान के प्रस्तावित बाईपास, नगर की प्रमुख सड़कों को मिलाते हुए 60 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित बाईपास, प्रमुख सड़कों एवं उप प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं सुधार हेतु नगर पालिका/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख व उप प्रमुख सड़कें, विभिन्न आवासीय एवं कार्य केन्द्रों के मध्य सम्पूर्ण सुविधा प्रदान करेगी। अन्य सड़कों की चौड़ाई सेक्टर प्लान एवं विस्तृत योजनाएँ बनाते समय निर्धारित की जावेगी। उक्त सड़कों का मार्गाधिकार यथा सम्भव निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखा जायेगा। वर्ष 2033 हेतु विभिन्न सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार व मानक चौड़ाई तालिका संख्या 15 व 16 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या - 15
विद्यमान व प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार -बारौ - 2033

क्र० सं०	सड़कों का विवरण	प्रस्तावित न्यूनतम मार्गाधिकार (मी०में)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग-27 बाईपास एवं उत्तर में प्रस्तावित बाईपास	60
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग-27 1. कोटा सड़क पर रेलवे लेवल क्रॉसिंग से बाईपास तक 2. रेलवे लेवल क्रॉसिंग से अटरू तिराहे तक 3. अटरू तिराहे से प्रस्तावित बाईपास तक 4. शाहबाद सड़क पर प्रस्तावित बाईपास से विद्यमान बाईपास तक	30 24 30 60
3.	राज्य राजमार्ग 1 (मांगरोल सड़क) 1. धर्मादा चौराहे से प्रस्तावित बाईपास तक 2. प्रस्तावित बाईपास से नगरीय क्षेत्र सीमा तक	24 60
4.	राज्य राजमार्ग-1 (झालावाड़ सड़क) 1. रेलवे क्रॉसिंग से बाईपास तक 2. बाईपास से नगरीय क्षेत्र सीमा तक	30 60
5.	लिंगक राष्ट्रीय राजमार्ग-90 (अटरू सड़क) 1. अम्बेडकर तिराहे से रेलवे क्रॉसिंग तक 2. रेलवे क्रॉसिंग से नगरीय क्षेत्र सीमा तक	30 60
6.	प्रमुख सड़कें 1. रेलवे क्रॉसिंग से धर्मादा चौराहा 2. अन्य प्रस्तावित प्रमुख सड़कें	24 30
7.	उप प्रमुख सड़कें 1. अस्पताल से मेलखेड़ी 2. कोटा सड़क से नलका को जाने वाली सड़क 3. बाबजी नगर सड़क से तलावड़ा को जाने वाली सड़क 4. कोटा सड़क से रिजर्व पुलिस लाईन को जाने वाली सड़क 5. कोटा सड़क से सांगोद को जाने वाली सड़क 6. कोटा सड़क से हरिपुरा को जाने वाली सड़क 7. प्रस्तावित बाईपास से नरेड़ा को जाने वाली सड़क 8. प्रस्तावित बाईपास से माथनी को जाने वाली सड़क 9. डोल तालाब के उत्तर में मांगरोल सड़क से मेलखेड़ी को जाने वाली सड़क 10. शाहबाद सड़क से नियाना को जाने वाली सड़क 11. अन्य उप प्रमुख सड़कें	24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
8.	मुख्य सड़कें 1. कोटा सड़क से सिविल लाईन्स को जाने वाली सड़क 2. मांगरोल सड़क से माथनी को जाने वाली सड़क प्रस्तावित बाईपास तक 3. शिवाजी नगर से नरेड़ा को जाने वाली सड़क प्रस्तावित बाईपास तक 4. अन्य प्रस्तावित मुख्य सड़कें	18 18 18 18

तालिका संख्या - 16
विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई -बारों - 2033

क्रम सं०	सड़कों की श्रेणी	सड़कों का मार्गाधिकार (मीटर में)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/बाईपास	60
2	प्रमुख सड़क	30
3	उप मुख्य सड़क/ग्रामीण सड़कें	24
4	मुख्य सड़क	18

5.8(1)(ब) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार :

विभाग द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है कि सभी वर्तमान सार्वजनिक मार्ग, जिन्हें प्रमुख, उप प्रमुख और मुख्य सड़कों के रूप में भू उपयोग योजना में प्रस्तावित किया गया है, जहां तक सम्भव हो मानक चौड़ाई के होंगे, किन्तु नगर के भीतरी स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण तथा नगर के बीच सड़कें चौड़ी किया जाना सम्भव नहीं है या सड़कें चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े और अधिक संख्या में इमारतों को तोड़ना पड़े तो अपेक्षाकृत निम्न मानक को अपनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में किये जाने वाले समस्त विकास कार्य प्रस्तावित भू उपयोग एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हों। जहां तक आवश्यक हो नगर के महत्वपूर्ण चौराहों एवं महत्वपूर्ण सड़कों की विस्तृत कार्य योजनायें बनाकर उनके अनुसार ही विकास कार्य किये जाने चाहिये।

5.8(1)(स) पार्किंग स्थलों का विकास :

बारों शहर में सड़कों का मार्गाधिकार कम होने के कारण वाहनों के पार्किंग में काफी परेशानी आती है। अतः स्थानीय निकाय द्वारा पार्किंग हेतु स्थलों का चयन कर पार्किंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

5.8(1)(द) चौराहों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण :

बारों नगर में स्थित विद्यमान/प्रस्तावित चौराहों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण विस्तृत योजना बनाकर किया जाना प्रस्तावित है। भू उपयोग योजना में विभिन्न सड़कों के जंक्शन पर चौराहे प्रस्तावित किये गये हैं। मौका स्थिति के अनुसार प्रत्येक की विस्तृत डिजाईन बनाई जाकर चौराहों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। यातायात प्रभावित नहीं हो, इसके लिए ओवरब्रिज बनाये जाने का भी प्रावधान है।

5.8(2) बस अड्डा तथा यातायात नगर :

5.8(2)(अ) बस अड्डा :

वर्तमान में बारों नगर में राजस्थान पथ परिवहन निगम का बसस्टैण्ड शहर के अंदर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। शहर के मध्य में स्थित होने के कारण बसों के आवागमन में अत्यधिक असुविधा रहती है। भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक और स्थल कोटा सड़क पर लगभग 9.50 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। वर्तमान बस स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड व बस स्टॉप के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है।

5.8(2)(ब) यातायात नगर :

वर्तमान् में यहां पर नियोजित ट्रक टर्मिनल नहीं है। यहां पर यातायात का दबाव रहता है। वर्ष 2033 की भावी आवश्यकताओं के लिए बाईपास सड़क पर लगभग 36.0 एकड़ भूमि यातायात नगर हेतु प्रस्तावित की गई है, जिसमें यातायात कार्यालय, वर्कशाप, भोजनालय, दुकानें, पार्किंग स्थल इत्यादि का प्रावधान किया जायेगा।

5.8(3) रेल सेवा :

वर्तमान् में बारों शहर कोटा-बीना बड़ी रेलवे लाईन पर प्रमुख जंक्शन है। नगर में स्थित रेलवे स्टेशन पर भी नियोजित रूप में विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है। रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे परिसर में काफी बड़ी भूमि है किन्तु व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं है। रेलवे सम्पत्ति सीमा में गुड्स ट्रेक रेलवे विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार विकसित किया जाना अपेक्षित है। अतः रेलवे स्टेशन के आस पास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण एवं पार्किंग आदि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। रेलवे लाईन का बहुत बड़ा भाग शहर के मध्य से गुजर रहा है अतः रेलवे लाईन के दोनों तरफ स्थित रेलवे भूमि का सौंदर्यीकरण एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है ताकि एक सुंदर परिदृश्य दृष्टिगत हो। अतः रेलवे स्टेशन की दोनों दिशाओं के सुधार के लिए पुनर्विकास योजना बनायी जाये।

5.9 परिधि नियंत्रण पट्टी :

नगर की परिधि में अवांछनीय /अनियंत्रित विकास पर नियंत्रण के उद्देश्य से 2033 तक के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों तरफ एक परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इस क्षेत्र में आने वाली भूमि का उपयोग मुख्य रूप से कृषि, वन विकास एवं इसके सहायक क्रिया-कलापों एवं इसके सीमित खनन आदि के लिए किया जा सकेगा, इससे परिधि नियंत्रण पट्टी में आने वाले ग्रामों जो कि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 2033 के बाहर हैं, का विकास भी नियंत्रित एवं योजनाबद्ध तरीके से हो सकेगा। इस क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित राजमार्ग सेवा केन्द्र, पेट्रोल पम्प, ग्रामीण आबादी का विस्तार, मोटल, कुक्कुट शालायें, रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र, एम्युजमेंट पार्क, वाटर पार्क, ईट भट्टे, चूना भट्टे, गौशाला, दुग्ध शाला तथा कृषि आधारित लघु उद्योग में निर्धारित मापदण्ड/ अनुमोदित सेट बैक के साथ आ सकेंगे। सिवाय-चक भूमि चिन्हित कर परिधि नियंत्रण क्षेत्रों में कृषि आधारित लघु उद्योगों हेतु योजना बनाई जा सकती है, जिसमें फूड पार्क, बुनकर, क्लस्टर आदि का प्रावधान रखा जा सकता है। नगर में स्थित ईट तथा चूना भट्टों के योजनाबद्ध रूप से उपरोक्तानुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

5.10 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण:-

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात् धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध

दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू-जल दोहन, अनियंत्रित खनन आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार हैं। अतएव पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से राजमार्ग व बाईपास के सहारे-सहारे वृक्षारोपण के लिए पट्टी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे-सहारे भी वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावेगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गोचर, वन भूमि, आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित विभागों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह-भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पानी के स्रोत सीमित हैं। बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण शहरों में पानी की समस्या निरन्तर गहराती जा रही है। प्राचीन तालाबों, कुंडों, कुंओ आदि जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल पुनर्भरण एवं पानी की रिसाईक्लिंग से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। सभी सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक भवनों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीके से शुद्ध कर पुनः चक्रित कर बाग-बगीचों में उपयोग लिया जाना चाहिए। उपरोक्त हेतु स्थानीय निकाय द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। तालाबों के किनारे वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा आस-पास का उपलब्ध रिक्त क्षेत्र खुले स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है यथासंभव तालाबों के चारों ओर संरक्षण के लिए सड़क बनायी जाये। यदि तालाब के क्षेत्र में कोई विकास हो गये हैं तो नियमानुसार विधिक राय के अनुसार ही मान्य होंगे।

5.11 ग्रामीण आबादी क्षेत्र:

परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर, किन्तु प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित गाँवों का विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत ही किया जायेगा। गाँव का प्राकृतिक आबादी विस्तार नियोजित रूप से बढ़ने दिया जायेगा, ताकि सुव्यवस्थित ढंग से आबादी का विस्तार हो सके। इस संबंध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गंभीर चिंतन का है कि यदि नियोजित आबादी विस्तार का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि जनता ग्रामीण अंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित होंगी, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध निर्माण की समस्या उत्पन्न होगी वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्र के बाहर के इलाकों में अनियंत्रित एवं अनियोजित नगरीय विकास को जन्म देगी, जिसके परिणामस्वरूप नियोजित नगरीय विकास का सम्पूर्ण उद्देश्य ही अर्थहीन बनके रह जायेगा। अतः ग्रामीण आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गाँवों का नियोजित ढंग से विस्तार किया जावेगा।

योजना का क्रियान्वयन

मास्टर प्लान किसी नगर के विकास के सम्भावित अवसरों का चित्रण मात्र है और इसे तभी मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है जब इनका क्रियान्वयन करने के लिए शक्तिशाली कदम निर्धारित समय में उठाये जावें। बारों का मास्टर प्लान तैयार करते वक्त एक विवेक-सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है। वर्तमान् उपयोगों का कम से कम स्थान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं को पर्याप्त स्तर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नगर में अच्छी सामुदायिक सुविधायें विकसित करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि करने और बारों को आवास एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से स्वास्थ्यकर स्थान बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

6.1 वर्तमान आधार:

विद्यमान् स्थानीय निकाय, बारों, नगर पालिका का गठन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकाय को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है, जिससे कि संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यो को प्रभावपूर्ण तरीके से नियोजित किया जा सकें। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थायें भी कार्यरत हैं, जो अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है।

6.2 प्रस्तावित आधार:

मास्टर प्लान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का दायित्व नगर पालिका, बारों का रहेगा। इस मास्टर प्लान में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु कार्यवाही नगर पालिका द्वारा की जायेगी। मास्टर प्लान लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति संबंधित स्थानीय निकाय को भेजी जायेगी। इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेगी कि बारों के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जायेंगे। इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जायेंगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियाँ नगर के प्रमुख स्थलों, नगर पालिका, बारों में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगर पालिका, बारों से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेंगी।

नगर पालिका, बारों मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगी। जलापूर्ति व जल-मल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा नगर यातायात प्रबंधन व सड़क विकास योजना, नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार करेगी। नगर पालिका, बारों मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से परियोजनाएँ तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी।

दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि यह एक विकास एवं समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर सके। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि स्थानीय निकाय को पर्याप्त मजबूती और समुचित अधिकार दिये जावें। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास क्रियाओं पर इसका नियंत्रण हो। इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय निदेशक/आयुक्त स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर करने होंगे।

6.3 जन सहयोग एवं जनसहभागिता :

नगर का विकास अंततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वहाँ की जनता का पूर्ण एवं सक्रिय-सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि नगर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें तभी योजना की सफलता सम्भव है।

6.4 भू-उपयोग अंकन :

बारों के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये योजना मानचित्र- 2033 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृति नगर नियोजन विभाग या नगर नियोजन विभाग की स्वीकृति/सहमति से जारी की गई है, तो उसे समायोजित माना जावेगा। यदि स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी नहीं की गई है, तो ऐसे प्रकरण में नगर नियोजन विभाग के परीक्षणों उपरांत नगर नियोजन विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त समायोजित मानी जावेगी।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है, तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी नाले जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/ रूपांतरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा-शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 योजना का क्रियान्वयन:

बारों नगर के मास्टर प्लान में नगर के भावी नियोजित विकास हेतु आगामी वर्ष 2033 तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। मास्टर प्लान की क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के मद्देनजर स्थानीय निकाय पंचवर्षीय योजना बनाकर उसकी सफल क्रियान्विति करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी वर्षों के लिए विभिन्न चरणों में विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी तथा मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेगी व उसकी क्रियान्विति विभिन्न प्रावधानों/नियमों के अन्तर्गत नियोजित विकास हेतु करवायेगी। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं आदि का विकास करवायेगी।

6.6 उपसंहार :

मास्टर प्लान भावी विकास की एक तस्वीर है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों के कार्य रूप में परिणित किया जायें। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। बारों का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएँ विकसित करके सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और बारों को आवास एवं पर्यटन की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

बारों का नगरीय क्षेत्र वर्तमान् में नगर पालिका सीमा से काफी बाहर तक प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2033 तक प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र भी नगर पालिका सीमा से बाहर प्रस्तावित है। अतः मास्टर प्लान के उचित ढंग से क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका सीमा को कस्बे की प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र सीमा तक बढ़ाया जाना उचित होगा।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के उद्घरण

अध्याय-2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति

(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उप धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाये तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) उस ढाँचे के विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जायें, जो आधार-भूत पैटर्न के रूप में काम में आयेगा।

5. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के संबंध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर, जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अन्तिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अर्न्तवस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बद्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जा सकेंगे।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान तैयार किये जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात राज्य सरकार, यह बतलाते हुऐ कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जावेगा।

राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST
(GENERAL) RULES, 1962**

(Notification No. F.4(32)LSG/A/59 dated 2.4.1962 published in the Rajasthan Gazette. Part IV-C, Extraordinary dated 8.6.1962 page 118.)

In exercise of the powers conferred by subsection(1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government here by makes the following Rules, namely:-

RULES

- 1. Short title & commencement-** (1) These rules may be called “The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962.”
(2) These rules shall come into force from their publication in the official Gazette.

- 2. Definitions- In these rules, unless the subject or context otherwise requires:-**

- (1) “Act” means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959(Act No. 35 of 1959).
(2) “Trust” means a Trust as constituted under the Act.
(3) “Section” means a Section of the Act.
(4) Words and Expressions used but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

- 3. Manner of publication of draft Master Plan and the contents there-of under section 5(i).**

¹
[“(1) “The draft master plan prepared by the Officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy there-of available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form “A” in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice. ²[If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the

period may be extended further for a Maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objection/suggestions with respect to the Draft of the Master Plan.”]2

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by Officer or the authority to each of the Local Body operating in the area include in the Master Plan.

(3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans & documents, namely:-

- (a) Town Map showing General Layout of the roads & streets in the Town.
 - (b) Base Map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, Industrial, Public & Semi-public uses etc.
 - (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the Urban area such as residential, commercial, Industrial, Public & Semi-public uses etc.
 - (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
 - (e) Any other maps, plans or matter which the Officer or the authority deem fit or as the State Government may direct the Officer or the authority in this regard.
-

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :-

1

[(1) After considering the objections, suggestions and representations which may be received by the Officer or the authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council 3(if constituted) under Section 3 (2) of the Act, finalise the Master Plan & submit the same to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form ‘B’ stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust /Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.]

-
1. Substituted by clause 2 of the Notification N. F. 3(123) TP/36, date 24.2.1970 vide C. S. R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extraordinary part iv-C dated 24.2.1970 at page 329-331.
 2. Amended & Added vide Noti.No. F7(19)TP/11/27 dated 21.9.1979 R.G. Pt.iv-c (i) dated 27.9.1979 page 339.
 - 3- Substituted vide No. F.9 (101) UDH/111/83, dated 27.10.1983 pub. in Raj. Gaz. 4 (Ga) (i) dated 16.2.1964 pages 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प 10 (3)नविवि/3/86

जयपुर, दिनांक: 13.06.2008

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), राजस्थान, जयपुर को बारों शहर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1.	लिसाड़िया	LISARIYA
2.	सुन्दलक	SUNDALAK
3.	बमूलिया	BAMOOLYA (NEAR GAJANPURA)
4.	रजपाली	RAJPALI
5.	माथनी	MATHNI
6.	फतहपुर	FATEHPUR
7.	बावड़ीखेड़ा	BAORIKHERA
8.	मण्डोला	MANDOLA
9.	दुर्जनपुरा	DURJANPURA
10.	बारों	BARAN
11.	कलमंडा	KALMANDA
12.	तलावड़ा	TALAWADA
13.	काजीखेड़ा	KAJIKHERA
14.	गोपालपुरा	GOPALPURA
15.	सुसावन	SUSAWAN
16.	कल्याणपुरा	KALYANPURA
17.	गजनपुरा	GAJANPURA
18.	नलका	NALKA
19.	नियाना	NIYANA
20.	लक्ष्मीपुरा	LAXMIPURA
21.	आमापुरा	AMAPURA
22.	समसपुर	SAMASPUR
23.	पीपल्दा	PEEPALDA
24.	मेलखेड़ी	MELKHERI
25.	हरिपुरा	HARIPURA
26.	बटावदा	BATAWADA
27.	रसखेड़ा तहसील अंता	RASKHERA TEH. ANTA

राज्यपाल के आदेश से
ह0

(शिव कुमार अग्रवाल)
शासन उप सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(3)नविवि/3/86

जयपुर, दिनांक 23 जनवरी 2014

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.06.2008 के द्वारा यथा अधिसूचित "बारों के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2031 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, बारों के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0

(उज्ज्वल राठौड)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, बारों।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बारों।
9. रक्षित पत्रावली।

ह0

(प्रदीप कपूर)

वरिष्ठ नगर नियोजक